Fifteenth Lok Sabha
II Session (02/07/2009 to 07/08/2009)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 2 जुलाई, 2009/11 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 8

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **राष्ट्रगान**

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. **शपथ**

श्री शिबू सोरेन, झारखण्ड के दुमका (अ॰ज॰जा॰) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

3. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने तीसरी और दसवीं लोक सभा के सदस्य और असम के राज्यपाल श्री शिवचरण माथुर; और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री फसी-उर-रहमान मन्नान खान के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

4. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

5. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—173 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.22 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.40 बजे पुन: समवेत हुई)

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.43 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

6. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आर्थिक समीक्षा 2008-2009 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 67 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 2/2/2009-सीएल-V, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 का कोई भी उपबंध (क) किसी भी सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू होगा अथवा (ख) किसी भी सीमित दायित्व भागीदारी पर ऐसे अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लागू होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. **शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

महासचिव ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित 'शहरी आवास' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 40वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**अपराह्न 12.01 बजे

8. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में।

---

* यह प्रतिवेदन, अध्यक्ष लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क(6) के अंतर्गत 8 अप्रैल, 2009 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष (चौदहवीं लोक सभा) को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

** अपराह्न 12.01 बजे से अपराह्न 1.01 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री गुरुदास दासगुप्त
2. श्री अर्जुन चरण सेठी
3. श्री अनंत कुमार हेगड़े
4. श्री बसुदेव आचार्य
5. श्री शैलेन्द्र कुमार
6. श्री शरद यादव
7. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
8. श्री मुलायम सिंह यादव
9. श्री लालू प्रसाद
10. श्री अनंत जी॰ गीते
11. श्री टी॰ आर॰ बालू
12. श्री दारा सिंह चौहान
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. श्री मनोहर तिरकी
15. श्री शरीफुद्दीन शारिक
16. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
17. डा॰ रतन सिंह अजनाला
18. श्री नरहरि महतो
19. श्री इन्दर सिंह नामधारी
20. श्रीमती सुषमा स्वराज

श्री योगी आदित्यनाथ, एडवोकेट ए॰ सम्पत, श्री लालजी टंडन और डा॰ रामचन्द्र डोम सहयोजित हुए।

श्री मुरली देवरा ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन ने ई॰आई॰ टैन्ड लेदर पर निर्यात शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई—

(2) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों पर थोपी गई शुल्क वृद्धि की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जे॰पी॰ अग्रवाल द्वारा शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नि:शक्तता अधिनियम, 1995 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा केन्द्रीय पूल से उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त बिजली का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल में तुरावूर से कल्लीक्काविला के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर दो लेन वाला बाई पास के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरिपर (जौनसर बाबर) को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, घनौली-बड्डी, नांगल-तलवारा और बिलासपुर-मंडी-मनाली-लेह रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ रामशंकर द्वारा आगरा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डा॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय के पात्र चिकित्सकों (रेडियोथेरेपिस्ट) को एम्स, नई दिल्ली में डी॰एम॰ मेडिकल आंकोलाजी का अध्ययन करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में रह रहे बीड़ी कर्मकारों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) सुश्री सुप्रिया सुले द्वारा मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने संबंधी पर्सी मिस्त्री समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ओ॰एस॰ मणियन द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर अनाईकराई में कोल्लीडम नदी पर सड़क पुल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री संजय सिंह चौहान द्वारा दिल्ली और हरिद्वार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.07 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 3 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,

महासचिव।

GMGIPMRND—2466LS(S-5)—02-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 3 जुलाई, 2009/12 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 9

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 21—24 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 25—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 174—312 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क युक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का हटाया जाना) संशोधन नियम, 2009 जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 396(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 110(अ) जो 23 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 392(अ) जो 5 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1.1.2007 से 8.10.2007 की अवधि तक के लिए कृषि ग्रेड के जिंक सल्फेट को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 119(अ) जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2009 जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 351(अ) जो 22 मई , 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 287(अ) जो 27 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 29/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 और सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 397(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या

32/2006-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 221(अ) जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 256(अ) जो 17 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के॰उ॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 312(अ) जो 11 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के॰उ॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 109(अ) जो 23 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 393(अ) जो 9 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 103(अ) जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा हाई-टेक उत्पाद निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स पर कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 102(अ) जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 104(अ) जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 94/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 105(अ) जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या 40/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 111(अ) जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 21 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 147(अ) जो 3 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना संख्या 208/1977-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जिसका एक शुद्धिपत्र 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 175(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 141(अ) जो 2 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 275(अ) जो 22 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित उन वस्तुओं, जिनका म्यांमार के साथ लगी भारत की सीमा में आने वाले नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य-क्षेत्रों में अवैध रूप से निर्यात किए जाने की संभावना है और जिनके अवैध निर्यात को रोकने तथा उक्त वस्तुओं की जांच को सुकर बनाने के उद्देश्य से विशेष उपायों के विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 121(अ) जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 145(अ) जो 3 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 184(अ) जो 20 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 197(अ) जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 200(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 258(अ) जो 17 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 307(अ) जो 4 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 355(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 371(अ) जो 30 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत द्वारा भारत-मरकोसर अधिमानी व्यापार करार जिस पर 25 जनवरी, 2004 को हस्ताक्षर किए गए, के अंतर्गत सहमत मदों पर सीमा-शुल्क रियायतों को कार्यान्वित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का०आ० 496(अ) जो 16 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का०आ० 549(अ) जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) का०आ० 564(अ) जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का०आ० 731(अ) जो 13 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का०आ० 823(अ) जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 21/2009-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का॰आ॰ 867(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का॰आ॰ 889(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 1059(अ) जो 28 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) भारत-सिंगापुर व्यापार करार (सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 जो 12 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 315(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) का॰आ॰ 1223(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) का॰आ॰ 1358(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) का॰आ॰ 1381(अ) जो 29 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1455(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (तीन) से (नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 132(अ) जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और श्रीलंका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 186(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में आयातित डाईमेथोएट टेक्निकल के आयातों पर, मूल्यानुसार 28 प्रतिशत की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 187(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयातित सभी अल्यूमिनीयम फ्लैट रॉल्ड उत्पादों तथा अल्यूमिनीयम फॉयल पर क्रमश: मूल्यानुसार 21 प्रतिशत और 35 प्रतिशत की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 201(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सभी पूर्णत: ड्रॉन अथवा पूर्णत: ओरिऐंटेड यार्न/स्पिन ड्रॉन यार्न/फ्लैट पोलिएस्टर यार्न के आयातों पर, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 202(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग में उद्भूत

अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित फ्लेक्स फैब्रिक के आयातों पर, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 215(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कैथोड रे कलर टेलीविजन पिक्चर टयूबों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 216(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित हेक्सामाईन के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 217(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित प्राकृतिक रूपों को छोड़कर सभी प्रकार के विटामिन ई के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 223(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या 45/2006-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 248(अ) जो 13 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जर्मनी और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 264(अ) जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में सोडा भस्म

के आयातों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 276(अ) जो 22 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान (चीनी ताइपे), थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कोल्ड रॉल्ड फ्लैट स्टेनलैस स्टील उत्पादों के सभी आयातों पर, विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 289(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बेलारूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 290(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित थायोनाइल क्लोराइड के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 291(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक्स के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 292(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या 36/2005-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 293(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 72/2008-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 296(अ) जो 30 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित केबल टाइयों के आयातों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 313(अ) जो 11 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या 55/2004-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 316(अ) जो 12 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीनों, जिनका क्लैपिंग बल 40 टन से अन्यून हो, पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 320(अ) जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित कॉस्टिक सोडा के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 336(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेजरिंग टेपों पर प्रतिपाटन शुल्क जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 337(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कैथोड रे कलर टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों पर अभिनिश्चायक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 352(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 4/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 353(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह उपबंध है कि चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से विनिर्दिष्ट उत्पादकों तथा निर्यातकों से कतिपय टाइलों के भारत में आयातों पर कोई प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगाया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०का०नि० 354(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 38/2007-सी०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 360(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, श्रीलंका और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों के आयातों पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 370(अ) जो 30 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या 38/2009-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा०का०नि० 391(अ) जो 5 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान, मलेशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा०का०नि० 398(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 33/2008-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा०का०नि० 399(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित पोटाशियम कार्बोनेट के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 418(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित विभिन्न प्रकार की सेरामिक ग्लेज्ड टाइलों, विट्रीफाईड टाइलों को छोड़कर भारत में आयातों पर अंतिम अवधारण होने तक अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा॰का॰नि॰ 419(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें यह उपबंध है कि चीन जनवादी गणराज्य और सिंगापुर से विनिर्दिष्ट उत्पादकों तथा निर्यातकों से विट्रीफाईड और पोर्सीलिन टाइलों के आयातों पर कोई प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगाया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा॰का॰नि॰ 420(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 134/2008-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा॰का॰नि॰ 421(अ) जो 15 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए बने फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा॰का॰नि॰ 424(अ) जो 16 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान, यूरोपीय संघ, नाइजीरिया और थाईलैंड में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 6-हेक्सानेलेक्टम के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांचों को अंतिम रूप दिए जाने तक, 20 अप्रैल, 2010 तक तथा उसके समेत, बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा॰का॰नि॰ 425(अ) जो 16 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विटामिन सी के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा॰का॰नि॰ 426(अ) जो 16 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 159/2003-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सीमा शुल्क टैरिफ (अर्जेन्टीना गणराज्य, ब्राजील संघीय गणराज्य, पेराग्वे रिपब्लिक और ओरिएंटल डेल उरूग्वे गणराज्य तथा भारत गणराज्य समेत मर्कोसूर सदस्य राज्यों की सरकारों के बीच अधिमान व्यापार करार के अंतर्गत वस्तुओं के उद्‌भाव का अवधारण) नियम, 2009 जो 30 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1385(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2009, जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 655(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2009, जो 16 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2009, जो 25 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 857(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2009, जो 25 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 858(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2009, जो 13 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 961(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2009, जो 21 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 989(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2009, जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 866(अ) में प्रकाशित हुए थे और जिसका शुद्धिपत्र 13 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 960(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1327(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (5) के परंतुक के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में खंड (दो) के प्रयोजनार्थ एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009, जो 1 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 374(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन शोधन निवारण (अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009, जो 1 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 375(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 308(अ), जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 31 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 62(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 120(अ) जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कर योग्य सेवाओं पर सेवा-कर की दर को 12 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 146(अ) जो 3 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें विशेष आर्थिक ज़ोनों के प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रदान की गई सेवाओं हेतु सेवा-कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 347(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 9/2009-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत ''पेरारिग्नार अन्ना की जन्म शताब्दी'' के अवसर की स्मृति में ढाले गए एक सौ रुपए और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2009 जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 279(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एन॰टी॰पी॰सी॰ लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) पावर ग्रेड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(16) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) नियम, 2009, जो 21 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 25 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 6 जुलाई, 2008 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

5. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से तीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पंद्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पंद्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ

सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से बीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. **राजघाट समाधि समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. **केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11 के उपनियम (2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से

जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. **नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन गठित केन्द्रीय समन्वय समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री मुकुल वासनिक ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उनके सभा के सदस्य बने रहने की अवधि तक के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अध्यधीन केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. **राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री अजय माकन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु इस समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4(3) अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.16 बजे

10. **बजट (रेल)**

कुमारी ममता बनर्जी* ने रेल के संबंध में वर्ष 2009-10 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.21 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.32 बजे पुन: समवेत हुई)

---

*अध्यक्ष की अनुमति से उन्होंने अपने भाषण का कुछ अंश भी सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.32 बजे

11. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 2.33 बजे

12. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

नियत समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 56 मिनट
शेष: 1 घंटा 4 मिनट

श्री संदीप दीक्षित ने देश में स्वाइन फ्लू के तेजी से फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में एक चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती मेनका गांधी
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. डा॰ रामचन्द्र डोम (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

13. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — पुर:स्थापित**

(1) श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 11, आदि का संशोधन)।

(2) श्री वैजयंत पांडा का अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009।

(3) श्री वैजयंत पांडा का नक्सलवादी आतंकवाद से प्रभावित व्यक्ति (राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2009।

(4) श्री वैजयंत पांडा का तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, महाचक्रवात अथवा सुनामी से प्रभावित नागरिक (प्रतिकर, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2009।

(5) श्री वैजयंत पांडा का अयाचित टेलीफोन कालों का निवारण और एकांतता का संरक्षण विधेयक, 2009।

(6) श्री अर्जुन मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

अपराह्न 3.36 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—विचाराधीन

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:

''हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण भू-स्खलन, बादल फटना, भूकम्प, औलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनके परिणामस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है और साथ ही उत्तुंग पहाड़ियों के कारण वहां सड़कों, भवनों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण की उच्च लागत और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह संघ सरकार की पूरी वित्तीय सहायता से—

(एक) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के चहुंमुखी और तीव्र विकास

(दो) इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और

(तीन) उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए

'राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड' नामक एक बोर्ड का गठन करे।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:–

1. श्री सतपाल महाराज
2. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
3. श्री विजय बहुगुणा
4. डा॰ राजन सुशांत
5. श्री अधीर रंजन चौधरी
6. श्री रमन डेका
7. श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा'
8. श्री जोसेफ टोप्पो
9. श्री प्रदीप टम्टा
10. श्री तथागत सत्पथी

11. श्री ओम प्रकाश यादव
12. श्री प्रेम दास राय
13. श्री थांगसो बाइते
14. डा॰ टोकचोम मैन्या (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

*सायं 6.12 बजे

(लोक सभा सोमवार, 6 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

* सायं 6.00 बजे से सायं 6.12 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2515LS(S-5)—03-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 6 जुलाई, 2009/15 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 10

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **बजट (सामान्य)—2009-2010**

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-2010 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.39 बजे

2. **राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण**

श्री प्रणब मुखर्जी ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) वृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.40 बजे

3. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

अपराह्न 12.41 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 7 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—2592LS—06-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 7 जुलाई, 2009/16 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 11

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41, 42 और 43 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 44—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 313—525 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2009-2010 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2009-2010 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —

(एक) वर्ष 2009-2010 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड I)।

(दो) वर्ष 2009-2010 के लिए गृह मंत्रालय (विधान मंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड II)।

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एवं दीयू और दादरा और नागर हवेली लिमिटेड, दमन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एवं दीयू और दादरा और नागर हवेली लिमिटेड, दमन के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता नियम, 2009 जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 124(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 और 2008-2009 के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-II के अंतर्गत अधिकतम सीमा बढ़ाने संबंधी राष्ट्रपति के विशेष आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायोनियर कैडर, कांस्टेबल (पायोनियर) समूह 'ग' पदों की भर्ती (संशोधन) नियम, 2009, जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 185 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 131(अ) जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 503(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1991-1992 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले छः विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मध्य वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2009, जो 28 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 365(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का॰आ॰ 1380 (अ) जो 29 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित मैसर्स दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले अस्थायी उर्वरकों के संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्देश नियत किए गए हैं।

(दो) उर्वरक नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2009 जो 14 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1214 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 129 (अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्यों के मामले में चीनी वर्ष 2008-2009 के लिए गन्ने की कीमत नियत की गई थी।

(चार) सा॰का॰नि॰ 241 (अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 6 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्यों के मामले में चीनी वर्ष 2008-2009 के लिए गन्ने की कीमत नियत की गई थी।

(19) (एक) को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2009 जो 3 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 383 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) वर्ष 2009-2010 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 63वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो)* विदेश मंत्री ने 7 जुलाई, 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की पहली वर्षगांठ के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

6. **राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस ने श्री शरद पवार की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ड़) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. **कॉफी बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति

* अपराह्न 3.15 बजे।

से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. **प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 3 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.11 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

*अपराह्न 12.30 बजे

9. **सदस्य द्वारा निवेदन**

(एक) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता से दिल्ली लाने संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की कथित सिफारिश के बारे में

श्री बसुदेव आचार्य ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण मुख्यालय को कोलकाता से दिल्ली लाए जाने संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की कथित सिफारिश के बारे में मामला उठाया।

श्री बी॰ के॰ हान्डिक ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.51 बजे

10. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी द्वारा भा॰खा॰नि॰ द्वारा आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के किसानों से चावल के स्टॉक की खरीद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.11 बजे तक तथा अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 12.50 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा' द्वारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोले जाने, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में घोषित किए जाने तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा देश में हेपेटाइटिस बी का उन्मूलन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा माचिस उद्योग को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ चरण दास महन्त द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू द्वारा देश में सब्जियों और फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हर्ष वर्धन द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफलाइटिस रोग का उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात के आणंद जिले के कर्मसाड़ में सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल को शीघ्र तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ भोला सिंह द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों में मलेरिया उन्मूलन के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात के भरूच जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री घनश्याम अनुरागी द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पचनाड़ा में बांध बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 'मुसहर' समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा जिले में सहरसा जंक्शन और पचगछिया रेलवे स्टेशन के बीच पड़ने वाले सहरसा बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर एक रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डा॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कपास बुनकर सहकारी समितियों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम द्वारा तमिलनाडु के कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होसूर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा स्टेट बैंक आँफ त्रावणकोर का विलय भारतीय स्टेट बैंक के साथ किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री संजय सिंह चौहान द्वारा दिल्ली और हरिद्वार के मध्य रेल-लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में केलेघाई और कपालेश्वरी नदियों की वार्षिक बाढ़ से होने वाली तबाही को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.52 बजे

12. **बजट (रेल) — 2009-2010**

आवंटित समय	: 10 घंटे
लिया गया समय	: 7 घंटे 11 मिनट
शेष	: 2 घंटे 49 मिनट

वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार
2. श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार

3.* श्री रेवती रमन सिंह

4.** श्री डी॰ वी॰ सदानन्द गौडा

5.** श्री नित्यानन्द प्रधान

6.** डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

7. डा॰ बलीराम

8. श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह

9. श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर

10. श्री बसुदेव आचार्य

11.** श्री पी॰ सी॰ गद्दीगौदर

12. श्री पिनाकी मिश्रा

13. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल

14. श्रीमती सुप्रिया सुले

15.** श्री प्रेमदास

16.* श्री गणेश सिंह

17. श्री भक्त चरण दास

18. श्री डी॰ वेणुगोपाल

19. डा॰ एन॰ शिवप्रसाद

20. श्री कमलेश पासवान

21. श्री के॰ बापीराजू

22. श्री शैलेन्द्र कुमार

23. श्री दारा सिंह चौहान

24.* श्री निखिल कुमार चौधरी

25. श्री जगदम्बिका पाल

26. श्रीमती मीना सिंह

27. डा॰ तरूण मंडल

---

* उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

28. श्री लालू प्रसाद

29. श्री हंसराज गं॰ अहीर

30. श्री सतपाल महाराज

31. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

32.**श्री जोसेफ टोप्पो

33. श्री पी॰ कुमार

34. श्री श्रीपाद येसो नायक

35.**श्री रायपति सांबासिवा राव

36.* श्री कोडिकुन्नील सुरेश

37.**श्री मधुसूदन यादव

38. आनंद प्रकाश परांजपे

39. श्री ए॰ गणेशमूर्ति

40. श्री रमेन डेका

41. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन

42.**श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 8.03 बजे

(लोक सभा बुधवार, 8 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

* उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—2643LS—07-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 8 जुलाई, 2009/17 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 12

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62, 63 और 64 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 65—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 526—715 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 116(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 जो 2 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 54 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2009 जो 30 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 297(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2009-2010 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2009-2010 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2009-2010 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वर्ष 2009-2010 के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) वर्ष 2009-2010 के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2009-2010 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2009-2010 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य-सचिव, सेवा और भर्ती की निबंधन और शर्तें) नियम, 2008 जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 559(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) वर्ष 2009-2010 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) वर्ष 2009-2010 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) वर्ष 2009-2010 के लिए संस्कृति मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) वर्ष 2009-2010 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2009 जो 3 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 305(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 650(अ) जो 9 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मार्च, 2009 की 9 तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 11 से 15 (दोनों सहित) के उपबंध प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) वर्ष 2009-2010 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2009 जो 5 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 390(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 5 के खंड (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त

अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 5 के खंड (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा-कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जयराम रमेश ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. झारखण्ड बजट — 2009-2010

श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री नमोनारायन मीणा ने वर्ष 2009-10 के लिए झारखण्ड राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

8. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2006-07 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.08 बजे*

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

फ्रांस में वीर सावरकर स्मारक स्थापित किए जाने के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने फ्रांस में वीर सावरकर स्मारक स्थापित किए जाने के बारे में निवेदन किये:—

1. श्री गोपीनाथ मुंडे

2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी

3. श्रीमती सुषमा स्वराज

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.29 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अन्तर्गत उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किसानों को प्रदत्त वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों के शीघ्र निपटान किए जाने तथा कर्नाटक में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कम से कम चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जे॰पी॰ अग्रवाल द्वारा नई दिल्ली में 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए समन्वित तथा पेशेवर तरीके से तैयारी में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मनीष तिवारी द्वारा देश में नक्सलवाद से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में रेलवे आरक्षण काउंटर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.29 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले उठाए।

(5) श्री राजैया सिरिसिल्ला द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्मित की जा रही बाबली परियोजना से संबंधित मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जगदंबिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के पीपरहवा (कपिलवस्तु) को विश्व धरोहर केन्द्र के रूप में घोषित किए जाने के बारे में कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटूर मंडल के नालप्पाडु (गुंटूर) और पगीडीपल्ली (बीबीनगर) के बीच लाईनों के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के लिए नया सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के अलापुझा जिले के कुट्टानाडु तालुक में लोगों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु एक नई जल परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पृथक 'पूर्वांचल' राज्य गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौडा द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत समुद्र-भूक्षरण रोधी परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा शिमला/सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हस्ति 'बाबा भालकु' के सम्मान में एक रेलवे संग्रहालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री दानवे रावसाहेब पाटील द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राम किशुन द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकाल से प्रभावित जिलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा केरल के कासरगोड जिले के 'मराठी' समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग के वानी विहार, सीआरपी और खंडगिरी क्रॉसिंगों में फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र सरकार को राज्य में बायोगैस परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए वित्तीय सहायता जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 बी और राष्ट्रीय राजमार्ग 67 में नए रिंग रोड के निर्माण के लिए मूल योजना को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एस॰डी॰ मंडलिक द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय में कृषि-जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री शेट्टी राजू उर्फ देवप्पा अन्ना द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों विशेषकर महाराष्ट्र के बंजारी समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक कल्याण निगम/बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.29 बजे

11. **बजट (रेल)—2009-2010**

लिया गया समय : 17 घंटे 02 मिनट

वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (रेल) पर आगे सामान्य चर्चा जारी रही।

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

1. श्री गोपीनाथ मुंडे
2.* श्री लक्ष्मण टुडु
3.* श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
4.* श्री सिद्धांत महापात्र
5.* डा॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
6.* डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क
7. चौधरी लाल सिंह
8.* श्री जी॰ एम॰ सिद्देश्वर
9.** श्री शेर सिंह घुवाया
10.* श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव
11. श्री एन चेलुवरया स्वामी
12.** श्री योगी आदित्यनाथ
13.* श्री जीतेन्द्र सिंह बुंदेला

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

14.* श्री अदगुरू एच॰ विश्वनाथ
15.* श्री मिथिलेश कुमार
16.* श्रीमती प्रिया सुनील दत्त
17.* श्री शिवराज भैया
18.* श्री निशिकांत दुबे
19. श्री माणिकराव होडल्या गावीत
20.* श्री भीष्म शंकर उर्फ कौशल तिवारी
21. श्री प्रबोध पांडा
22.** श्री संजय सिंह चौहान
23** श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय
24. श्री नवीन जिन्दल
25. श्री अर्जुन चरण सेठी
26.* श्री चन्दुलाल साहू
27.* डा॰ एम॰ जगन्नाथ
28. श्री नरहरि महतो
29.* श्री वीरेन्द्र कश्यप
30.* श्री पी॰ एल॰ पुनिया
31.** श्री अनुराग सिंह ठाकुर
32. श्री संजय बृजकिशोरीलाल निरूपम
33.* श्री राकेश पाण्डेय
34. श्री इन्दर सिंह नामधारी
35** श्री धर्मेन्द्र यादव
36.* श्री दर्शना जरदोश
37. श्रीमती मेनका गांधी
38. श्री हेमानंद बिसवाल
39. श्रीशरीफुद्दीन शारिक
40.* श्री ई॰ जी॰ सुगावनम
41.** श्री ई॰ टी॰ मुहम्मद बशीर
42. श्री जगदानंद सिंह
43. श्रीमती सुमित्रा महाजन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

44. श्री निर्मल खत्री
45. श्री सुदीप बंधोपाध्याय
46. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन
47.** श्री प्रेम दास राय
48.* श्रीमती सुशीला सरोज
49.* श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
50.** श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ
51.* श्री भर्तृहरि महताब
52.* श्रीमती उषा वर्मा
53. श्री सज्जन सिंह वर्मा
54.* श्री अमरनाथ प्रधान
55.** श्री दिनेश चन्द्र यादव
56.* श्री संजय धोत्रे
57.* श्री रामर सिंह कस्वां
58.* श्री आर॰ ध्रुवनारायण
59. श्री ओ॰ एस॰ मणियन
60.* श्री ए॰के॰एस॰ विजयन
61. श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहान
62. श्री नामा नागेश्वर राव
63.* श्री खिलाड़ी लाल बैरवा
64.* श्री रूद्रमहताब राय
65. श्री फ्रासंसिस्को सारदीना
66. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
67.** श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी
68.** कु॰ सरोज पाण्डेय
69. डा॰ चरण दास महंत
70. श्री शेट्टी राजु उर्फ अन्ना देवप्पा
71.* श्री भूपेन्द्र सिंह
72. श्री तिरूमावलावन थोल
73.* श्रीमती सुष्मिता बौरी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

74.** श्री बृज भूषण शरण सिंह
75.** श्री राजेन्द्र अग्रवाल
76. श्री मधु गौड यास्खी
77.* श्री मुरारी लाल सिंह
78. श्री बदरूद्दीन अजमल
79.** श्री एम॰बी॰ राजेश
80.** श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े
81.* श्री रघुवीर सिंह मीना
82.** श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
83.* डा॰ थोकचाम मैन्या
84. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी
85.* श्री सुरेश अंगड़ी
86. श्री जोस के॰ मणि
87.* श्री पोन्नम प्रभाकर
88.* श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी
89.* श्री पी॰ लिंगम
90. श्री दिग्विजय सिंह
91. श्री दानवे रावसाहेब पाटील
92.* श्री रामसिंह राठवा
93. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
94.* डा॰ रामचन्द्र डोम
95. श्री जगदीश शर्मा
96. श्री तथागत सत्पथी
97.** श्रीमती विजय चक्रवर्ती
98. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
99.* श्री हरिभाऊ जावले
100.** श्री रामकिशुन
101. श्री विजय बहादुर सिंह
102.* डा॰ अरविन्द कुमार शर्मा
103.** श्री विष्णु पद राय

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

104.** श्रीमती अन्नू टन्डन
105.* श्री दिलीप सिंह जूदेव
106.* श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण
107 डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
108.* श्री भरत राम मेघवाल
109.** श्री पी॰ करूणाकरन
110.** श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
111.* डा॰ ज्योति मिर्धा
112. श्री एम॰ राजामोहन रेड्डी
113. श्री विभु प्रसाद तराई
114.* श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
115. श्रीमती भावना पाटील गवली
116. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी
117.** श्री संजय भोई
118.* श्री रमेश विश्वनाथन काट्टी
119.* श्री पवन सिंह घाटोवार
120.** श्री राकेश सचान
121.** श्री कौशलेन्द्र कुमार
122.* डा॰ विनय कुमार पाण्डेय
123.** श्री विष्णु देव साय
124 श्री जगदीश ठाकोर
125. श्री शेख सैदुल हक
126.** श्री उमा शंकर सिंह
127** श्रीमती ज्योति धुर्वे
128.** श्री मानिक टैगोर
129.** श्री तूफानी सरोज
130.** श्री अर्जुन राय
131.** श्री राकेश सिंह
132.* श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा'
133.* श्री कमल किशोर

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।
**उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

134. श्री प्रदीप टम्टा
135. श्री महेन्द्र कुमार राय
136.** श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे
137.** श्री वीरेन्द्र कुमार
138.** श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर
139. श्री पुलीन बिहारी बासके
140.** श्री सुशील कुमार सिंह
141.* श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव
142.** श्री हर्ष वर्धन
143.** श्री सोहन पोटाई
144.** श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र
145.* श्री चंद्रकांत खैरे
146. श्रीमती संतोश चौधरी
147.** श्री मकनसिंह सोलंकी
148. श्री प्रदीप कुमार माझी
149.** श्री अर्जुन राम मेघवाल
150.** श्री एम॰के॰ राघवन
151. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
152.** डा॰ (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड
153. श्री सी॰आर॰ पाटिल
154.** श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया
155. श्री शिवराम गौडा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 10.20 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 9 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।
**लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—2748LS—08-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 9 जुलाई, 2009/18 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 13

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 83, 84, 86 और 88 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 85, 87 और 89—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 716—906 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए इस्पात मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक सीए 22) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक सीए 23) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक सीए 24) अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पण।

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2009-2010 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2009-2010 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 2 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 68(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 94(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2009 जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 101(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2009 जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 126(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2009 जो 4 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 150(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(छह) वायुयान (सातवां संशोधन) नियम, 2009 जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 165(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(सात) वायुयान (आठवां संशोधन) नियम, 2009 जो 13 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 167(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(आठ) वायुयान (नौवां संशोधन) नियम, 2009 जो 13 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 168(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(नौ) वायुयान (दसवां संशोधन) नियम, 2009 जो 16 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 254(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2009–2010 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 136(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2009 जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 204(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2009 जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 137(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (अपील दाखिल करने संबंधी प्रपत्र और शुल्क तथा प्रतिकर आवेदन दाखिल करने हेतु शुल्क) नियम, 2009 जो 4 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 387(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (चयन समिति का कार्यकाल तथा नामों के पैनल के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2009 जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 260(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति का कार्यकाल तथा नामों के पैनल के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2009 जो 6 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 156(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति का कार्यकाल तथा नामों के पैनल के चयन की रीति) दूसरा संशोधन नियम, 2009 जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 259(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और व्यावसायिकों की नियुक्ति) विनियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/6/रेग॰ एक्सपर्ट/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/6/रेग॰ सामान्य/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कार्य निपटान हेतु बैठक) विनियम, 2009 जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/6/रेग॰ बैठक/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(16) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती संशोधन नियम, 2008 जो 24 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 5 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2009 जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (3) 2008 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 163(अ) जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 448(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) गुणवत्ता पुनरीक्षा बोर्ड की बैठकों की सनदी लेखाकार प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें व निबंधन तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2009 जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 789(अ) जो 20 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एक अपीलीय प्राधिकरण, जो चेयरमैन तथा आठ सदस्यों से मिलकर बना है, की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) वर्ष 2009-2010 के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) वर्ष 2009-2010 के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) वर्ष 2009-2010 के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(24) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) वर्ष 2009-2010 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (मौद्रिक देयता की सीमा तथा प्रतिशतता प्रभार का निर्धारण) संशोधन नियम, 2009 जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 219(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) वर्ष 2009-2010 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) वर्ष 2009-2010 के लिए वस्त्र मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) वर्ष 2009-2010 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) केआईओसीएल (पूर्ववर्त्ती कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड) तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

*(एक) विदेश मंत्री ने ''हमारे पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण गतिविधियों'' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

* सायं 5.14 बजे। उन्होंने अपने वक्तव्य के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

5. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री दयानिधि मारन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.20 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू' द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा देश के स्कूलों और कालेजों के पाठयक्रमों में महात्मा गांधी की शिक्षा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा मत्स्यपालन विकास के लिए एक पृथक् मंत्रालय गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कमलेश पासवान द्वारा बांसगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए बेहतर ट्रेन सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के अन्य भागों में स्थित पुराने ऐतिहासिक तालाबों के पुनरुद्धार, संरक्षण तथा सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.20 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(7) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान को प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा इन्दौर मध्य प्रदेश में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ राजन सुशान्त द्वारा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री आर॰ के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित बुन्देलखंड क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तीर्थस्थल नैमिषारण्य को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा कोलकाता के हल्दिया पत्तन की ड्रेजिंग के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा के कंधमाल जिले के विकास के लिए एक विशेष राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) सुश्री सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र राज्य की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.21 बजे

8. **बजट (रेल) — 2009-2010**

लिया गया समय : 17 घंटे 57 मिनट

कुमारी ममता बनर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2009-2010 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा पूरी हुई।

9. **नियम 331छ के निलंबन का प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान के संबंध में लागू करने से निलंबित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभा अब वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर मतदान करेगी। यद्यपि, प्रक्रिया नियमों के नियम 331छ को निलंबित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभा अनुदानों की मांगों को विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के पास भेजे बिना पारित कर दे, तथापि मांगों को रेल संबंधी स्थायी समिति के गठन के पश्चात् जांच करने तथा सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उसको सौंपी जाएगी।''

11. **बजट (रेल) — 2009-2010**

[वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांग (रेल)]

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, 8 जुलाई, 2009 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर सभा द्वारा बिना चर्चा किए मतदान किया जाए। कटौती प्रस्तावों को पेश किए जाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है, अत: सभी कटौती प्रस्तावों को जिन्हें परिचालित किया गया है, पेश किया गया समझा जाए.....''

वर्ष 2009-10 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 16

चार सौ इक्यावन कटौती प्रस्ताव (1-451) को पेश हुआ माना गया।

सभी कटौती प्रस्तावों जिनको पेश किया गया माना गया, अस्वीकृत हुए।

बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी मांगें संख्या 1 से 16 वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियां पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

12. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 *विधेयक,* 2009

13. **सरकारी विधेयक — पारित**

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 *विधेयक,* 2009

विधेयक पर विचार किए जाने का कुमारी ममता बनर्जी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(लोक सभा अपराह्न 1.16 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.17 बजे

14. (एक) बजट (सामान्य)— 2009-2010; और (दो) वर्ष 2006-2007 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

आबंटित समय:	12 घंटे
लिया गया समय:	5 घंटे 29 मिनट
शेष समय:	6 घंटे 31 मिनट

निम्नलिखित कार्य की मदें एक साथ ली गईं—

(एक) वर्ष 2009-2010 के बजट (सामान्य) पर चर्चा।

(दो) वर्ष 2006-2007 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें संख्या 16 और 22

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डा॰ मुरली मनोहर जोशी
2. श्री कावुरी सांबासिवा राव
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री राजीव रंजन 'ललन' सिंह
6. डॉ॰ (श्रीमती) काकोली घोष दस्तिदार

7. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
8. श्री पी॰ करुणाकरन
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री अनंत गंगाराम गीते
11. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
12. श्री मनीष तिवारी
13. श्री बृजभूषण शरण सिंह
14. श्री लालू प्रसाद
15. श्री सुरेश अंगड़ी
16. श्री संदीप दीक्षित (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

* रात्रि 8.01 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 10 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

* सांय 7.00 बजे से सायं 7.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2767LS—09-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 10 जुलाई, 2009/19 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 14

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 102—106 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 101 और 107—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 907—1042 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए संसद्, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2009-2010 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2009-2010 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) 31.12.2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिनांक 17.11.97 के मार्गनिर्देश के संबंध में 5% विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत किए गए आवंटन के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2009-2010 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वर्ष 2009-2010 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2009-2010 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2009-2010 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2009-2010 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 5 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/07/165404 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणन) विनियम, 2007 जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/04/163097 में प्रकाशित हुए थे।

(16) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारतीय निक्षेप प्राप्तियों की निर्गमन सुविधा) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 20 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/10/166936 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008-09/34/154082 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि) विनियम, 2009 जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/05/163525 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का सूची से हटाया जाना) विनियम, 2009 जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/09/165992 में प्रकाशित हुए थे।

(18) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2008-09 का संख्यांक सीए 14) अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2008-09 का संख्यांक सीए 16) वैज्ञानिक विभाग।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2008-09 का संख्यांक सीए 17) थल सेना और आयुध निर्माणी।

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (2009 का संख्यांक सीए 21) प्रत्यक्ष कर।

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2009 का संख्यांक पीए 25) प्रत्यक्ष कर-कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2008-09 का संख्यांक पीए 30)—स्वायत्त निकाय—नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) का कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(सात) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2008-09 का संख्यांक पीए 29)—स्वायत्त निकाय—एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(आठ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2009-10 का संख्यांक सीए 20) (अनुपालन लेखापरीक्षा)—अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क।

(नौ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2009-10 का संख्यांक पीए 24) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)—अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा-शुल्क।

(19) संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—झारखण्ड सरकार (राजस्व प्राप्तियां)।

(दो) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—झारखण्ड सरकार (सिविल और वाणिज्यिक)।

(20) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो सम्भलाई विनियम, 2009 जो 17 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (संशोधन) नियम, 2009 जो 17 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा॰का॰नि॰ 171(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 437(अ) जो 22 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डाईथाईल थियो फास्फोरिल क्लोराइड जो सामान्यत: डीईटीपीसी के रूप में प्रचलित है, के आयात पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 438(अ) जो 22 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेड के फास्फोरिक एसिड और उनका सांद्रण (कृषि अथवा उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के आयात पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(23) वर्ष 2009-2010 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) वर्ष 2009-2010 के लिए पर्यटन मंत्रालय की बजट अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) वर्ष 2009-2010 के लिए पर्यटन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) वर्ष 2009-2010 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.02 बजे

4. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 13 जुलाई, 2009 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

5. दिल्ली विकास प्राधिकरण के सलाहकार परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी की ओर से श्री सौगत राय ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण के सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में चार वर्ष की अवधि तक कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 9 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन, उसके पैरा संख्या 4 जिसका निपटान सभा में किया जा चुका है तथा पैरा संख्या 6 और 7 को भी छोड़कर, से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, प्रश्नकाल के पश्चात् अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया को विनियमित करने के प्रयास के तहत 1 जुलाई, 2009 को सभी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए प्रात: 0900 बजे से प्रात: 0930 बजे तक सूचनाएं स्वीकृत की जाएंगी। प्रथम 20 सूचनाएं उस दिन के लिए वैध होंगी। इन 20 सूचनाओं में से 5 सूचनाओं को शून्यकाल के पश्चात् उठाने की अनुमति होगी और शेष

मामलों को 6 बजे के पश्चात् अथवा दिन का कार्य समाप्त होने पर, यथास्थिति, उठाने की अनुमति होगी। मैं इस बात को दोहराना चाहती हूं कि सूचनाओं की पूर्ववर्तिता सूचना कार्यालय में उनकी प्राप्ति के समय के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती है। यह पूर्णतया अध्यक्षपीठ का ही निर्णय होगा कि किन-किन मामलों को प्रश्नकाल के पश्चात् उठाने की अनुमति दी जाए। सदस्य कृपया इस बात को ध्यान में रखे कि सूचना देने में अग्रणी होना उन्हें प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात् मामलों का उठाने का हकदार नहीं बनाता है।''

*अपराह्न 12.18 बजे

8. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

कोशी नदी पर कुशहा बांध में दरार के कारण हुई भारी क्षति के संबंध में

श्री शरद यादव ने कोशी नदी पर कुशहा बांध में दरार के कारण हुई भारी क्षति के संबंध में निवेदन किया।

श्री राजीव रंजन *उर्फ*'ललन' सिंह सहयोजित हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.33 बजे

9. **(एक) बजट (सामान्य)-2009-2010; और (दो) वर्ष 2006-2007 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य)**

आबंटित समय	: 12 घंटे
लिया गया समय	: 7 घंटे 27 मिनट
शेष समय	: 4 घंटे 33 मिनट

एक साथ ली गई निम्नलिखित कार्यों की मदों पर संयुक्त चर्चा जारी रही—

(एक) वर्ष 2009-2010 के बजट (सामान्य) पर चर्चा।

(दो) वर्ष 2006-2007 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें संख्या 16 और 22

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संदीप दीक्षित (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री गुरुदास दासगुप्त

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई)

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 12.32 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

3. श्री एन॰ कृष्टप्प
4. श्री रामकिशुन
5.* श्री प्रेमदास
6. श्री राजेन गोहेन
7. श्री एम॰ आई॰ शानवास
8. डा॰ बली राम
9. श्री महाबली सिंह
10. श्री उदयनराजे भोंसले
11. श्री शिवराज भैया
12. श्री कल्याण बनर्जी
13.*श्री घनश्याम अनुरागी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

10. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—वापस लिया गया

श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा 3 जुलाई, 2009 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

> ''हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण भू-स्खलन, बादल फटना, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनके परिणामस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है और साथ ही उत्तुंग पहाड़ियों के कारण वहां सड़कों, भवनों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण की उच्च लागत और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह संघ सरकार की पूरी वित्तीय सहायता से—
>
> (एक) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के चहुंमुखी और तीव्र विकास के लिए;
>
> (दो) इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए; और
>
> (तीन) उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए''

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डा॰ थोकचोम मैन्या (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री तकाम संजय
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
6. श्री निनोंग ईरींग
7. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

श्री वी॰ नारायणसामी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

अपराह्न 5.44 बजे

11. **गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन**

श्री सतपाल महाराज ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और कि स्वजलधारा और वर्द्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल स्कीमें सही ढंग से लागू और मॉनीटर नहीं की जा रही हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना बनाई जाए।"

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.07 बजे

(लोक सभा सोमवार, 13 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2820LS—10-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 13 जुलाई, 2009/22 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 15

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 121—126 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 127—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1043—1260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीईएमएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड), बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड), बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्यिक पोत परिवहन (भारतीय मत्स्यन नावों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2009 जो 26 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 448(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 435घ और 435ङ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 449(अ) जो 26 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पत्तनों को भारतीय मत्स्यन नावों की रजिस्ट्री के पत्तनों या स्थानों के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे पत्तनों अथवा स्थानों के संबंध में अधिसूचना के स्तंभ 2 में उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय मत्स्यन नावों के रजिस्ट्रार के रूप में की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 198(अ) जो 25 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 2009 को अनुमोदित किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 227(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 2009 को अनुमोदित किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 428(अ) जो 18 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) दूसरा संशोधन विनियम, 2009 को अनुमोदित किया गया है।

(12) वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1354(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 6 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 629(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 863(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 6 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 630(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(18) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत रबड बोर्ड (रबड़ उत्पादन आयुक्त और सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 454(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉदर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉदर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) उड़ीसा प्राईमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी, पंजाब के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी, पंजाब के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) डाक विभाग के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 19 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 864(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 की संख्या सीए 25) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी)—दूरसंचार क्षेत्र के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) भारतीय संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) भारत तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी (एक्सपेरीमेंटल सर्विस) (संशोधन) नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 324 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी (डिमोन्सट्रेशन लाइसेंस) (संशोधन) नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 325 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन डिवाइसेज सहित वेरी लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेज अथवा उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 90(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(47) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) वी॰ वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰ वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) संविधान के अनुच्छेद 371च के खंड (ढ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2241(अ) जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में शिक्षु अधिनियम, 1961 का विस्तार किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 566(अ), जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें अधिसूचना के खंड (दो) के अनुसरण में जारी उपरोक्त मद संख्या 4 में उल्लिखित सिक्किम राज्य में शिक्षु अधिनियम, 1961 के लागू होने की तारीख 27 फरवरी, 2009 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2009 जो 25 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 52 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2009 जो 25 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 53 में प्रकाशित हुए थे।

(53) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वित्तीय प्राक्कलन और कार्यनिष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री ए॰ के॰ एंटोनी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (झ)के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 और 2 के उप-खण्ड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. रबड़ बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य,

ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. **मसाला बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 5 के उप-नियम (1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. **चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि चाय नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) और नियम 4 के उप-नियम (1)के खंड (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य 31.03.2011 तक की अवधि तक के लिये निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. **नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड में निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री जी॰ के॰ वासन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि नाविकों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जी॰ के॰ वासन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के शेष कार्यकाल के लिए अर्थात् 31 अगस्त, 2010 तक सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.09 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

अपराह्न 12.10 बजे

(एक) दिल्ली में मेट्रो रेल के निर्माण स्थल पर हुई कथित दुर्घटना के संबंध में।

श्री गुरुदास दासगुप्त ने दिल्ली में मेट्रो रेल के निर्माण स्थल पर हुई कथित दुर्घटना के संबंध में निवेदन किया।

डा॰ रामचन्द्र डोम सहयोजित हुए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.32 बजे

(दो) जी-8 देशों द्वारा भारत को संवर्धन और पुन:प्रसंस्करण किए जाने वाले वस्तुओं के अंतरण पर लगाए गए शर्त के संबंध में।

श्री बासुदेव आचार्य ने जी-8 देशों द्वारा भारत को संवर्धन और पुन:प्रसंस्करण किए जाने वाले वस्तुओं के अंतरण पर लगाए गए शर्त के संबंध में निवेदन किया।

श्रीमती सुषमा स्वराज और डा॰ मुरली मनोहर जोशी सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 12.37 बजे तक तथा अपराह्न 6.08 बजे से अपराह्न 6.28 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

****(तीन) अयोध्या मामले से संबंधित दस्तावेजों के कथित रूप से गायब होने के संबंध में।**

श्री जगदम्बिका पाल ने अध्योध्या मामले से संबंधित दस्तावेजों के कथित रूप से गायब होने के संबंध में निवेदन किया।

श्री घनश्याम अनुरागी सहयोजित हुए।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.38 बजे

12. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में गोण्डा और गोरखपुर के बीच आनंद नगर-नौतनवा होते हुए रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटकुल डीविजन में तैनात सहायक रेलवे ड्राइवरों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एस॰ रामासुब्बु द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्ली जिले के मनीमुतर डैम के आसपास के पिकनिक केंन्द्र की संरक्षा करने तथा उसके अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए निधियों को समयबद्ध तरीके से जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जगदीश ठाकोर द्वारा गुजरात के पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को उस क्षेत्र के विकास पर बल देने के लिए पिछड़े क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डा॰ विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू' द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*सायं 6.19 बजे

(8) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और अन्य रोजगार स्कीमों के तहत पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव द्वारा महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सिंचाई परियोजना के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात में पूर्व प्रधानमंत्री स्व॰ श्री मोरारजी देसाई की समाधि पर एक स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मलेरिया का फैलाव रोकने तथा लोगों को समुचित चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री घनश्याम अनुरागी द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालन्दा जिले के इस्लामपुर में पान अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेचदा से रानीचक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 पर सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री ए॰ सम्पत द्वारा एक काजू बोर्ड जिसका मुख्यालय केरल में हो, स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री बैजयंत पांडा द्वारा उड़ीसा में उत्पादित कोयले पर रायल्टी की समीक्षा किए जाने में हुए विलम्ब के बारे में।

(19) श्री संजय सिंह चौहान द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीपीएल कार्डधारकों की सूची की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री एस॰ डी॰ मंडलिक द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर विमानपत्तन की हवाईपट्टियों के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.38 बजे

13. (एक) बजट (सामान्य)—2009-2010; और (दो) वर्ष 2006-2007 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

आबंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 13 घंटे 39 मिनट

एक साथ लिए गए निम्नलिखित कार्यों की मदों पर संयुक्त चर्चा जारी रही—

(एक) वर्ष 2009-2010 के बजट (सामान्य) पर चर्चा।

(दो) वर्ष 2006-2007 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें संख्या 16 और 22

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1.# श्री निशिकांत दुबे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.42 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

2.* डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
3. डा॰ चिन्ता मोहन
4.* श्री वीरेन्द्र कुमार
5. श्री जयन्त चौधरी
6. डा॰ रतन सिंह अजनाला
7. श्री असादूद्दीन ओवेसी
8. श्री हरिन पाठक
9. श्री दत्ता राघवजी मेघे
10.* डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
11.* श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
12.* श्री राम सिंह कस्वां
13.* श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वर

#सभा के पुन: समवेत होने पर उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।
* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

14.* श्री महेन्द्र सिंह पी॰ चौहान
15.** श्री सोमेन मित्रा
16. श्री बंस गोपाल चौधरी
17.** श्री विजय बहादुर सिंह
18.* श्री विष्णु पद राय
19. श्री अधीर चौधरी
20. श्री इन्दर सिंह नामधारी
21. श्री मनोहर टिर्की
22. श्री आधि शंकर
23. श्री पशुपति नाथ सिंह
24. श्री सी॰ राजेन्द्रन
25. श्री मदन लाल शर्मा
26. श्री शरीफुद्दीन शारिक
27.* श्री गणेश सिंह
28. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
29. श्री रेवती रमन सिंह
30. डा॰ (श्रीमती) रत्ना डे
31. डा॰ संजय जायसवाल
32. श्रीमती दीपा दासमुंशी
33.** श्री प्रेम दास राय
34.* श्री श्रीपाद येसो नाईक
35. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
36. श्री मोहम्मद असरारुल हक
37.* श्री अवतार सिंह भडाना
38. श्री मोहन जेना
39. श्रीमती शताब्दी राय
40. श्री जगदानंद सिंह
41.* श्रीमती प्रिया दत्त
42. श्री शिवाली अधलराव पाटील
43.* डा॰ तरूण मंडल
44.* श्री फ्रांसिस्को सारदीना

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

** उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

45.* श्री प्रबोध पाण्डा
46.**डा॰ राजन सुशांत
47.* श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय
48. श्री पवन सिंह घाटोवार
49.**श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी
50. श्री जोस के॰ मणि
51.**श्री बदरूद्दीन अजमल
52. श्रीमती सुमित्रा महाजन
53. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
54.**श्री ए॰ गणेशमूर्ति
55. श्री राजू शेट्टी
56.**श्री पी॰ लिंगम
57. डा॰ संजीव गणेश नाइक
58.**श्री राकेश सचान
59.**श्री विजय बहुगुणा
60. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी
61. मोहम्मद अजहरूद्दीन (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

रात्रि 8.30 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 14 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।
** उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

GMGIPMRND—2877LS—13-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 14 जुलाई, 2009/23 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 16

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 141—144 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 145—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1261—1459 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए वित्त मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2009-2010 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2009-2010 के लिए गृह मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2009-2010 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वर्ष 2009-2010 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) वर्ष 2009-2010 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2009-2010 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 27 की उपधारा (4) के अंतर्गत कॅयर बोर्ड (सेवा) संशोधन उप-विधि, 2009 जो 18 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 429(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2009-2010 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009 जो 13 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 250(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका) विनियम, 1994 की धारा 204 के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह नगरपालिका सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2008 जो 24 नवम्बर, 2008 के अंडमान और निकोबार प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 161/2008/एफ॰सं॰3-132/2006-एलएसजी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहायक कमांडेन्ट (कार्यकारी), भर्ती नियम, 2009 जो 6 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 237(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमा सुरक्षा बल (तैनाती और प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल) संशोधन नियम, 2009 जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (सामान्य ड्यूटी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009, जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 346(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) असम रायफल अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम रायफल (समूह 'ग' काम्बैटाइज्ड पद) भर्ती संशोधन नियम, 2009 जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 130(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)।

(20) विधिविरुद्ध गतिविधियां (निषेध) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत विधिविरुद्ध गतिविधियां (निषेध) (अभियोजन की सिफारिश और स्वीकृति) (संशोधन) नियम, 2009 जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 224(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) विधिविरुद्ध गतिविधियां (निषेध) अधिनियम, 2008 की धारा 43क के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1132(अ) जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महानिरीक्षक

(प्रचालन), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में शक्तियां प्रदान की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के 39वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन जो हिन्दी के प्रसाद और विकास को त्वरित करने तथा संघ के विधि शासकीय प्रयोजनों के लिए इसके प्रगामी प्रयोग और इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन विनियम, 2009 जो 8 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 311(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2009 जो 27 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 50(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(24) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्यान्न पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2009 जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्यान्न पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2009 जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विनिर्दिष्ट खाद्यान्न पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (तीसरा संशोधन) आदेश, 2009 जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(25) जम्मू-कश्मीर बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के वर्ष 1993-1994 से 2007-2008 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे को संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर

सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले संशोधित विवरण/शुद्धिपत्र, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) पादप किस्म और किसानों के अधिकार की सुरक्षा अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पादप किस्म और किसानों के अधिकार की सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2009 जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 319(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धिपत्र 25 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 125(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप किस्म और किसानों के अधिकार की सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2008 जो 14 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(27) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (व्यापार का संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 30 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएलः एनडीडीबी-01/09 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2009 जो 12 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 411(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 474(अ) जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के छह लेनों वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 475(अ) जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (कुमारपालयम बाईपास से चेंगापल्ली खण्ड) के चार लेनों वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 403(अ) जो 5 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहिसर खण्ड) के छह लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 759(अ) जो 18 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (लखनऊ-कानपुर खण्ड) के चार लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 760(अ) जो 18 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिकलूरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के छह लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 791(अ) जो 20 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (आदेसर-समखियाली खण्ड) के छह लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 792(अ) जो 20 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (बामनबोर-गारामोर खण्ड) के छह लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 815(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर बाईपास खण्ड) के छह लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 816(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (चित्तौड़गढ़-बिछूर खण्ड) के चार लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 817(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (बिछोड़ से बिजोलिया खण्ड) के चार लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 818(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (बिजोलिया से खारी-पुर खण्ड) के चार लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 862(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के चार लेन वाले विस्तार के प्रयोक्ताओं से उद्गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 360(अ) जो 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 (जोराबट-बारापानी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1326(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के संबंध में भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 616(अ) जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 97(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 546(अ) जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 23 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2516(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(सत्रह) का॰आ॰ 547(अ) जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 और 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 545(अ) जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबाड़ी–बिजनी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 928(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 481(अ) जो 16 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (चरियाबाही–टिओक खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2487(अ) जो 21 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर–पठानकोट–जम्मू खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 502(अ) जो 18 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 896(अ) जो 1अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1338(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1165(अ) जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 और 84 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 962(अ) जो 16 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1314(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 804(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2575(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठाईस) का॰आ॰ 361(अ) जो 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का॰आ॰ 362(अ) जो 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1868(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का॰आ॰ 617(अ) जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1267(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31डी के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 926(अ) जो 6 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और पंजाब राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के छह लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 942(अ) जो 9 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (वड़ोदरा-भरूच खण्ड) के छह लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1178(अ) जो 8 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1179(अ) जो 8 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5ए (चांडीकोल-पारादीप खण्ड) के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1180(अ) जो 8 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1181(अ) जो 8 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पिंडवाड़ा-अबु रोड खण्ड) के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1212(अ) जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 28 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्तालीस) का॰आ॰ 1436(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 1515(अ) जो 18 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (आगरा-भरतपुर खण्ड) के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 873(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान और गुजरात राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (अबु रोड-पालनपुर/खेमाना खण्ड) के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 874(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अडलूर-येल्लारेड्डी-गुण्डला पोचमपल्ली खण्ड) के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 876(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 76 (जसवंतगढ़-देबारी खण्ड) के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 882(अ) जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 892(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 893(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (भौंटी-फतेहपुर खण्ड) के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 894(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (टुण्डला-माखनपुर खण्ड) के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 895(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा-अमोला गांव खण्ड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के चार लेन वाले मार्ग के प्रयोक्ताओं से उद्‌गृहीत किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 1207(अ) जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट–अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 885(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट–अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 886(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट–अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 887(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट–अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 466(अ) जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (किशनगढ़–बेबाड़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 1206(अ) जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट–अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 221(अ) जो 21 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई–दो (इस्टर्न पेरिफरल एक्सप्रेस वे ऑफ डेलही) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 222 (अ) जो 21 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 513 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तावन) का॰आ॰ 554 (अ) जो 21 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर–वाराणसी खण्ड) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठावन) का॰आ॰ 931 (अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग–नागपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 932 (अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर–धुले खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 603 (अ) जो 4 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिंपलगांव–नासिक–गोंडे खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 518 (अ) जो 20 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (सीपोन–लाहोल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 519 (अ) जो 20 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (दबोका–लंका खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 680 (अ) जो 13 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4ए के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौसठ) का॰आ॰ 553 (अ) जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2043(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैसठ) का॰आ॰ 1142 (अ) जो 4 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 426 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का॰आ॰ 785 (अ) जो 19 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71ए के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 656 (अ) जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 223 (अ) जो 21 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2062(अ) में कतिपय संशोधन किए गए, के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 1224 (अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर सिरसा नदी के ऊपर स्थायी पुल के प्रयोक्ताओं से चुंगी की वसूली किए जाने के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 754 (अ) जो 17 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2574(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 552(अ) जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (छह लेन बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 753(अ) जो 17 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर–महुआ

खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 1346(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-महुआ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 1195(अ) और का॰आ॰ 1196(अ) जो 11 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने), के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 341(अ) जो 27 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (वड़ोदरा-सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने) के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 290(अ) जो 23 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 613(अ) जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 8 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1403(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 614(अ) जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (झांसी-भोगनीपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने के साथ-साथ बाईपास का निर्माण अथवा पुन:आरेखन, यदि कोई हो), के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(उनासी) का॰आ॰ 615(अ) जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और टॉल प्लाजा के प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(अस्सी) का॰आ॰ 907(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (भोगनीपुर–बारा खण्ड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (भोगनीपुर–बारा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 1131(अ) जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 1166(अ) जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 1280(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (हापुड़–मुरादाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 350(अ) जो 27 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 945(अ) जो 9 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर–पठानकोट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 973(अ) जो 17 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर–अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 1384(अ) जो 29 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(अठासी) का॰आ॰ 1434(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 5 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1709(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(नवासी) का॰आ॰ 1542(अ) जो 24 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के कुल्लू बाईपास पर पुल समेत राष्ट्रीय राजमार्ग के उस खण्ड के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरें उद्गृहीत किए जाने के लिए मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(30) उपर्युक्त (29) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 9 जुलाई, 2009 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, (डीएआरई) कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

6. **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री शरद पवार की ओर से प्रो॰ के॰बी॰ थॉमस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियम 4 के उपनियम (सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. **राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री दिनशा पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राष्ट्रीय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री दिनशा पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राष्ट्रीय बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के उप नियम (एक) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राष्ट्रीय बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन दो वर्ष की अवधि के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.07 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

अपराह्न 12.09 बजे

(एक) **केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के बाढ़-पीड़ितों के लिए एनसीसीएफ से जारी निधियों को उड़ीसा राज्य से वापस लेने संबंधी उसके निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में**

श्री अर्जुन चरण सेठी ने केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के बाढ़ पीड़ितों के लिए एनसीसीएफ से जारी निधियों को उड़ीसा राज्य से वापस लेने संबंधी उसके निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में निवेदन किया।

सर्वश्री वैजयंत पांडा, पिनाकी मिश्रा, यशवंत लागुरी और डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी सहयोजित हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.18 बजे

(दो) **कर्नाटक राज्य को उर्वरकों की पूरी मात्रा का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के संबंध में**

श्री डी॰ वी॰ सदानन्द गौडा ने कर्नाटक राज्य को उर्वरकों की पूरी मात्रा का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के संबंध में निवेदन किया।

श्री अनंत कुमार, श्री प्रह्लाद जोशी और श्री जी॰ एम॰ सिद्देश्वर सहयोजित हुए।

श्री श्रीकांत जेना ने उत्तर दिया।

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रूदोली नगर में पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रायापति सांबसिवा राव द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक टेक्सटाईल पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.27 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जी॰ एस॰ बासवराज द्वारा कर्नाटक में नेफेड द्वारा कोपरा की खरीद के लिए मानदंडों में शिथिलता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) गुथा सुखेन्द्र रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में हथकरथा सेक्टर के लिए एक मेगा क्लस्टर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा रामगंजमंडी से झालावाड़ होते हुए भोपाल तक की रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश के किसानों को कृषि ऋण माफी स्कीम का लाभ पहुंचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ राजन सुशांत द्वारा देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले शहीदों के सम्मान में नई दिल्ली में एक 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के रौनही–मगरासी और गोंडा जिले के धेमवाघाट में सड़क पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जगदीश सिंह राणा द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर–अम्बाला रेल लाईन पर रेल ऊपरिपुल संख्या 86ख के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री जगदीश शर्मा द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिहार के जहानाबाद, अरवल और गया जिलों में विद्युतीकरण कार्यों में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डा॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में डनलप फैक्टरी की रुग्ण दशा के कारण बेरोजगार हुए फैक्टरी के कामगारों के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम द्वारा तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में आम फल पर आधारित उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री जगदानन्द सिंह द्वारा बिहार को बाणसागर करार के अनुसार सोन नदी से जल का समुचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा पश्चिम बंगाल में हावड़ा से हिजली तक एक नई ट्रेन 'टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस' चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डा॰ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.28 बजे

11. **(एक) बजट (सामान्य) - 2009-2010; और (दो) वर्ष 2006-2007 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)**

लिया गया समय: 17 घंटे 12 मिनट

एक साथ लिए गए निम्नलिखित कार्यों की मदों पर संयुक्त चर्चा जारी रही—

(एक) वर्ष 2009-2010 के बजट (सामान्य) पर चर्चा।

(दो) वर्ष 2006-2007 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें संख्या 16 और 22

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. मोहम्मद अजहरूद्दीन *(अपना भाषण पुन: आरंभ किया)*

*2. श्री सतपाल महाराज

*3. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*4. कैप्टन (सेवानिवृत्त) जय नारायण प्रसाद निषाद

*5. डा॰ थोकचोम मैन्या

*6. श्री नीरज शेखर

7. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र

*8. श्री आनंदराव अडसुल

*9. डा॰ किरोड़ी लाल मीणा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

** 10. श्री नामा नागेश्वर राव

11. श्री थोल तिरूमावलावन

**12. श्री पन्ना लाल पुनिया

13. श्री आर॰ थामराईसेलवन

*14. श्री उदय प्रताप सिंह

15. श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली

*16. श्री जयश्रीबेन पटेल

17. श्रीमती दर्शना जरदोश

18. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

19. श्री भूदेव चौधरी

20. श्री नवीन जिन्दल

*21. श्री पी॰के॰ बिजू

22. श्री हरिभाऊ जावले

23. श्री पी॰ विश्वनाथन

24. श्री गोरखनाथ

25. श्री एन॰ पीताम्बर कुरूप

26. डा॰ मिर्जा महबूब बेग

**27. श्री अब्दुल रहमान

**28. श्री नारायण सिंह अमलाबे

*29. श्री जगदम्बिका पाल

30. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*31. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव

32. डॉ॰ जी॰ विवेकानन्द

33. श्री संजय सिंह चौहान

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

*34. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

*35. श्री एस॰ एस॰ रामसुब्बू

*36. श्री पी॰ टी॰ थामस

*37. श्री के॰ पी॰ धनपालन

**38. श्री तूफानी सरोज

39. श्री कमल किशोर

*40. श्री एस॰ पी॰ वाई॰ रेड्डी

*41. श्री चंदूलाल साहू

*42. श्री एस॰ आर॰ जेयदुरई

*43. श्री हंसराज गं॰ अहीर

*44. श्री मिथलेश कुमार

*45. डॉ॰ विनय कुमार पांडेय

श्री प्रणव मुखर्जी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांगें संख्या 16 से 22 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

12. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

13. **सरकारी विधेयक — पारित**

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

श्री प्रणव मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.06 बजे

14. **(i) प्रस्ताव—अस्वीकृत**

(ii) सांविधिक संकल्प—स्वीकृत

(iii) वर्ष 2009-10 के लिए झारखंड बजट

(iv) वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगें (झारखंड)

लिया गया समय: 2 घंटे 13 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों को एक साथ लिया गया:—

(एक) झारखंड में राष्ट्रपति शासन के प्रतिसंहरण के लिए प्रस्ताव।

(दो) झारखंड में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के लिए सांविधिक संकल्प।

(तीन) वर्ष 2009-10 के झारखंड राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा;

(चार) वर्ष 2009-10 के झारखंड राज्य के बजट के संबंध में अनुदानों की मांगें।

सख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 33, 35 से 44 और 46 से 52।

श्री अर्जुन मुंडा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 19 जनवरी, 2009 को उनके द्वारा जारी उद्घोषणा प्रतिसंहरित की जाए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत झारखंड राज्य के मामले में 19 जनवरी, 2009 को जारी उद्घोषणा को 19 जुलाई, 2009 से और आगे 6 महीने की अवधि तक जारी रखे जाने का अनुमोदन करती है।''

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल

2. श्री बसुदेव आचार्य

3. श्री सुबोध कांत सहाय

4. श्री भर्तृहरि महताब

5. श्री मुलायम सिंह यादव

6. श्री लालू प्रसाद

7. श्री बाबू लाल मरांडी

8. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

9. श्री नरहरि महतो

10. श्री प्रबोध पाण्डा

11. श्री शरीफुद्दीन शारिक

12. श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री पी॰ चिदम्बरम ने उनके द्वारा पेश किए गए सांविधिक संकल्प पर वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री अर्जुन मुंडा ने उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान हुआ और वह अस्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए सांविधिक संकल्प पर मतदान हुआ और वह स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायन मीणा ने वर्ष 2009-10 के लिए झारखंड बजट पर चर्चा का उत्तर दिया।

श्री इन्दर सिंह नामधारी द्वारा पेश किया कटौती प्रस्ताव संख्या 3 पर मतदान हुआ और वह अस्वीकृत हुआ।

बजट (झारखंड) के संबंध में अनुदानों की सभी मांगें संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 33, 35 से 44 और 46 से 52 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों (झारखंड) की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

15. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

झारखंड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

16. **सरकारी विधेयक—पारित**

झारखंड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री नमो नारायन मीणा का विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नमो नारायन मीणा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 6.47 बजे

(लोक सभा बुधवार, 15 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 6.19 बजे से सायं 6.47 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2918LS—14-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 15 जुलाई, 2009/24 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 17

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 161-162 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 163—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1460—1633 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

*(1) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*अपराह्न 12.01 बजे

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 192(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2009, जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2009, जो 15 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 253(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कर्मचारीवृंद) (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009, जो 24 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 445(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2009-2010 के लिए अंतरिक्ष विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰ आ॰ 1356(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें 27 मई, 2009 से 26 मई, 2014 की अवधि के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक तथा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(दो) का॰ आ॰ 2728(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें 25 नवम्बर, 2008 से 24 नवम्बर, 2013 की अवधि के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक तथा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(तीन) का॰ आ॰ 1355(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें 27 मई, 2009 से 26 मई, 2014 की अवधि के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक तथा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(13) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2009 जो 18 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 97(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 783(अ) जो 19 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लुप्त प्राय पादप व पशुओं की प्रजातियां अधिसूचित की गई हैं तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में कतिपय शर्तों के अध्यधीन उनके संग्रहण का प्रतिषेध और विनियमन किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 997(अ) जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लुप्त प्राय पादप व पशुओं की प्रजातियां अधिसूचित की गई हैं तथा केरल राज्य में कतिपय शर्तों के अध्यधीन उनके संग्रहण का प्रतिषेध और विनियमन किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 998(अ) जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लुप्त प्राय पादप व पशुओं की प्रजातियां अधिसूचित की गई हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय शर्तों के अध्यधीन उनके संग्रहण का प्रतिषेध और विनियमन किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 999(अ) जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लुप्त प्राय पादप व पशुओं की प्रजातियां अधिसूचित की गई हैं तथा उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय शर्तों के अध्यधीन उनके संग्रहण का प्रतिषेध और विनियमन किया गया है।

(15) वर्ष 2009-2010 के लिए योजना आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(16) वर्ष 2009-2010 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(17) वर्ष 2009-2010 के लिए विदेश मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*अपराह्न 1.08 बजे

(18) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2007-08 और 2008-09) के संबंध में पर्यावरण और वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 181वें और 200वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट

सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.02 बजे

5. **जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.03 बजे

6. **सदस्य द्वारा निवेदन**

देश में सूखे की स्थिति के बारे में

श्री शरद यादव ने देश में सूखे की स्थिति के बारे में निवेदन किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए:—

1. श्री मुंडे गोपीनाथराव पांडुरंग
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री टी॰ के॰ एस॰ इलेंगोवन
5. श्री बसुदेव आचार्य
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अनंत गंगाराम गीते

---

*अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 1.08 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

8. श्री सुदीप बंधोपाध्याय
9. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
10. श्री गुरुदास दासगुप्त
11. श्री नामा नागेश्वर राव
12. श्री लालू प्रसाद
13. श्रीमती अन्नू टंडन
14. डा॰ रतन सिंह अजनाला

सर्वश्री धनश्याम अनुरागी, आर॰ के॰ सिंह पटेल, राम किशुन, जे॰ एम॰ आरुन रशीद, शैलेन्द्र कुमार, डा॰ रामचन्द्र डोम और डा॰ (श्रीमती) झांसी बोचा लक्ष्मी, श्रीमती सुस्मिता बाउरी और श्रीमती जया प्रदा सहयोजित हुए।

(लोक सभा अपराह्न 1.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.13 *बजे पुन:समवेत हुई)*
अपराहन 2.13 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री अशोक अर्गल द्वारा चम्बल नदी से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए स्कीम तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान में रतनागढ़ और सरदारशहर के बीच रेल लाईन का आमान परिवर्तन का कार्य पूरा किए जाने और सरदारशहर तथा हनुमानगढ़ के बीच नई रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विद्युत उत्पादन पर कर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अखिलेश यादव द्वारा जीटी रोड को दिल्ली से लखनऊ तक छह लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारायणी नदी से बारंबार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री महेश्वर हजारी द्वारा बिहार के दरभंगा और खगड़िया जिलों को जोड़ने वाले पीपराघाट के जीर्णशीर्ण पुल की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा डाक विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा के सभी लाभों देश के ग्रामीण डाक सेवकों को भी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा में खुर्दा–बोलंगीर रेल लाइन के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा दिल्ली और महाराष्ट्र के मनमाड/कोपरगांव के बीच प्रतिदिन सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने तथा शिरडी में तीर्थयात्रियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सी॰ शिवासामी द्वारा तमिलनाडु में तिरुपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र सरकार को तटीय सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त निधि दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री शेट्टी राजू उर्फ देवप्पा अन्ना द्वारा गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.13 बजे

8. नियम 331छ के निलम्बन का प्रस्ताव

लिया गया समय: 5 घंटे 12 मिनट

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान के संबंध में लागू करने से निलम्बित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. माननीय उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्य, यद्यपि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ को निलम्बित कर दिया गया है ताकि सभा अनुदानों की मांगों को संबंधित विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों को सौंपे बिना पारित कर सके, तथापि, मांगें स्थायी समितियों के गठन के पश्चात् जांच करने तथा सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए उन्हें सौंपी जाएंगी।''

10. बजट (सामान्य)—2009-2010—अनुदानों की मांगें

माननीय उपाध्यक्ष ने आगे निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''अब सभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58 पर चर्चा तथा मतदान करेगी।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जाएगा, जिनके संबंध में सभा पटल पर सूचना प्राप्त होती है।''

वर्ष 2009-2010 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 57 और 58

वर्ष 2009-2010 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 57 और 58 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डा॰ मुरली मनोहर जोशी
2. श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰देव
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री पी॰के॰ बिजू
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्रीमती मीना सिंह
7. श्री शिवाजी अधलराव पाटील

8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्रीमती सुमित्रा महाजन
10. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
11. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
12. डा॰ पी॰ वेणुगोपाल
13. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
14. श्री प्रबोध पाण्डा
15. श्री जगदानन्द सिंह
16. श्रीमती प्रिया सुनील दत्त
17. श्री ई॰टी॰ मुहम्मद बशीर
18. *श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद
19. श्री शरीफुद्दीन शारिक
20. श्री असादूद्दीन ओवेसी
21. *श्री एंटो एंटोनी
22. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
23. श्री नरहरि महतो
24. *श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी
25. **श्री मिथिलेश कुमार
26. श्री दिनेश चन्द्र यादव
27. **श्री हंसराज गं॰ अहीर
28. श्री विजय बहादुर सिंह
29. **डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
30. **श्री अर्जुन राम मेघवाल

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

---

* उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 57 और 58 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

*सायं 7.58 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 16 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*सायं 7.25 बजे से सायं 7.58 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2955LS—15-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 16 जुलाई, 2009/25 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 18

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 181—200 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1634—1800 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.15 बजे पुनः समवेत हुई)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत नोटेरी (संशोधन) नियम, 2009 जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 114(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रतिवेदन संख्या 210—ह्यूमनाइजेशन एण्ड डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्ट टू स्यूसाइड—अक्तूबर, 2008।

(दो) प्रतिवेदन संख्या 211—लॉज ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एण्ड डिवोर्स—ए प्रपोजल फॉर कंसोलिडेशन एण्ड रिफॉर्म—अक्तूबर, 2008।

(तीन) प्रतिवेदन संख्या 212—लॉज ऑफ सिविल मैरिजेज इन इंडिया—ए प्रोपोजल टू रिजॉल्व सर्टेन कन्फ्लिक्ट्स—अक्तूबर, 2008।

(चार) प्रतिवेदन संख्या 213—फास्ट ट्रैक मजिस्टिरियल कोर्ट्स फॉर डिसऑनर्ड चैक केसेस—नवम्बर, 2008।

(पांच) प्रतिवेदन संख्या 214—प्रपोजल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ जजेज केसेस I, II एण्ड III—एस॰पी॰गुप्ता वर्सेज यूओआई रिपोर्टेड इन एआईआर 1982 एससी 149, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन वर्सेज यूओआई रिपोर्टेड इन 199(4) एससीसी 441 एण्ड स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998 रिपोर्टेड इन 1998 (7) एससीसी 739—नवम्बर, 2008।

(छह) प्रतिवेदन संख्या 215—एल॰ चन्द्र कुमार बि रिविजिटेड बाइ लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट—दिसम्बर, 2008।

(सात) प्रतिवेदन संख्या 216—नॉन-फिजिबलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिन्दी ऐज कम्पल्सरी लैंग्वेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया—दिसम्बर, 2008।

(आठ) प्रतिवेदन संख्या 217—इर्रिट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज—अन्डर ग्राउंड फॉर डिवोर्स—मार्च, 2009।

(नौ) प्रतिवेदन संख्या 218—नीड टू एक्सीड टू द हेग कन्वेंशन ऑन द सिविल आस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एबडक्शन (1980)—मार्च, 2009।

(दस) प्रतिवेदन संख्या 219—नीड फॉर फैमिली लॉ लेजिस्लेशन्स फॉर नॉन-रेजिडेन्ट इंडियन्स—मार्च, 2009।

(ग्यारह) प्रतिवेदन संख्या 220—नीड टू फिक्स मैक्सिमम चार्जेबल कोर्ट-फीस इन सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स—मार्च, 2009।

(बारह) प्रतिवेदन संख्या 221—नीड फॉर स्पीडी जस्टिस—सम सजेशन्स—अप्रैल, 2009।

(तेरह) प्रतिवेदन संख्या 222—नीड फॉर जस्टिस—डिस्पेंशन थ्रू एडीआर एटसेट्रा—अप्रैल, 2009।

(चौदह) प्रतिवेदन संख्या 223—नीड फॉर एमेलियोरेटिंग द लॉट ऑफ द हैव-नॉट्स—सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट्स—अप्रैल, 2009।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में 52वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2009 जो 20 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 183 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2009 जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (भारतीय निक्षेप प्राप्तियों का निर्गमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 15 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 251(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 17 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 257(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 24 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 891 (अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2009 को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की उसमें उल्लिखित धाराओं के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1323(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई, 2009 को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 55 से 58, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

(11) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधाराओं (1) और (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन नियम, 2009 जो 4 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 78 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 386(अ) जो 4 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2009 के नियम 1 के उप-नियम (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1324(अ), जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मई, 2009 का सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 32 और 33 तथा नियम 38 से 40 के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 226(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 338(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 23 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 439(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) वर्ष 2009–2010 के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) वर्ष 2009–2010 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) बिक्को लॉरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009–2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(24) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2832(अ) जो 2 दिसंबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 8 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1110(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 586(अ) जो 2 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड के कंपनी सचिव की नियुक्ति कंपनी के संपदा अधिकारी के रूप में की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेपा लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तेरह) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चौदह) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

राज्य सभा से संदेश

3. महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 जुलाई, 2009 को पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

4. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री निनोंग ईरींग द्वारा देश में उत्पादित आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्यान्नों और सब्जियों के दुष्प्रभावों को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल से बाहर विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत राज्य के विद्यार्थियों को आसान ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पी॰सी॰ थॉमस द्वारा केरल में इदुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाईपासों का निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राकेश सिंह द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपजों पर समुचित लाभ सुनिश्चित किए जाने के लिए एक तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बोकारो, झारखंड में कोनार बांध पर पनबिजली परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डा॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा जिले में सूखे की स्थिति के बारे में।

(8) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी में आर्सेनिक की मौजूदगी के कारण प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री ए॰के॰एस॰ विजयन द्वारा तमिलनाडु में वित्तीय सेवा कलस्टर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गजानन डी॰ बाबर द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्य का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 17 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3012LS—16-07-2009.

लोक सभा

समाचार–भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 17 जुलाई, 2009/26 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 19

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 201—204 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 205—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1801—1987 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2008 का संख्यांक पीए 17)—सरकारी क्षेत्र के उपक्रम—दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के चरण I का कार्यान्वयन (निष्पादन लेखापरीक्षा) संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2009-2010 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2009-2010 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 61(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 20 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 107(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 20 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 108(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 299(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटियां) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 300(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 301(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम, 2009 जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 349(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 441(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 442(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 29 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/11/167759 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1580(अ), जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में जम्मू एंड कश्मीर

बैंक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित जम्मू ग्रामीण बैंक और कामराज ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(12) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ऋण वसूली अधिकरण-III, चेन्नई (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009, जो 12 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 404(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अधिकरण-II, अहमदाबाद (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009, जो 12 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 405(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़ (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009, जो 12 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 406(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2009, जो 12 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 407(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 432(अ), जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 433(अ), जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 484(अ), जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 485(अ), जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 486(अ), जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 2010 तक सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैंडसेटों के पार्ट्स, घटकों और उपसाधनों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट को पुन: लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 487(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पैकेज सॉफ्टवेयर अथवा डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर को उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेनवैट ऋण (संशोधन) नियम, 2009 जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 481(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 2009 जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 482(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 483(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 465(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 466(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 28/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 467(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 468(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 469(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 29/2004-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 470(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 471(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 472(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 473(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 474(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 475(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 10/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 476(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 23/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 477(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 2/2008-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 478(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 59/2008-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 479(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बायोडीजल को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 480(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाले पैकेज सॉफ्टवेयर अथवा डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 455(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फ्थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर उनमें उल्लिखित दरों पर अंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 456(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 9/2009-सी.शु. को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 434(अ) जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित उत्पादों पर चीन जनवादी

गणराज्य से भारत में आयात करते समय विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चित सुरक्षा शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 435(अ) जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 26/2009-सी॰शु॰ को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 488(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स तथा विनिर्दिष्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को उनके द्वारा एकत्र सदस्यता या किसी अन्य शुल्क पर दी गई कर योग्य सेवा को छूट प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (105) के उपखण्ड (यययङ) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 489(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 6.10.2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007-एसटी का अधिक्रमण करना है तथा संशोधित रिफंड स्कीम को लागू करना है ताकि रिफंड को सरल और सुकर बनाया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 490(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दो कर योग्य सेवाओं, अर्थात् 'वस्तुओं का सड़क से परिवहन' और 'विदेशी अभिकर्ताओं को संदत्त कमीशन' को, यदि निर्यातक रिवर्स चार्ज आधार पर सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है, तो सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 491(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी अनुसूचित बैंक को किसी अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के अंतर-बैंक क्रय और विक्रय के संबंध में प्रदान की गई कर योग्य सेवा को छूट प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (105) के उपखण्ड (यड) अथवा (ययट) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 492(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यात्रियों का 'कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट' वाले वाहन में अंतर-राज्यीय अथवा अंतरा-राज्य परिवहन के लिए प्रदान की गई कर योग्य सेवा को विनिर्दिष्ट शर्तों पर छूट प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (105) के उपखण्ड (यठ) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 493(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 1/2002-सेवा कर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 494(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदान की गई तथा भारत में प्राप्त की गई) नियम, 2006 के खण्ड (ङ) के लिए नियम 2 में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 495(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वैकल्पिक संरचना स्कीम का लाभ केवल ऐसी संकर्म संविदाओं, जहां वस्तुओं और सेवाओं का समस्त मूल्य घोषित हो, के लिए अनुमत्त करने हेतु संकर्म संविदा (सेवा कर संदाय के लिए संरचना स्कीम) नियम, 2007 के नियम 3 में स्पष्टीकरण करने के लिए उप नियम (1) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) वर्ष 2009-2010 के लिए विद्युत मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.04 बजे

4. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 20 जुलाई, 2009 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

5. **ध्यानाकर्षण**

श्री योगी आदित्यनाथ ने देश में नदियों और झीलों में प्रदूषण नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

पर्यावरण और वन मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.34 बजे

6. **प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 16 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.36 बजे

7. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता के बारे में।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मिस्र में वार्ता के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.45 बजे

(दो) केरल के उत्तरी जिलों में भारी वर्षा और भू-स्खलन से प्रभावित लोगों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल ने केरल के उत्तरी जिलों में भारी वर्षा और भू-स्खलन से प्रभावित लोगों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री मोहम्मद ई॰ टी॰ बशीर, पी॰ टी॰ थॉमस, जोस के॰ मणि, के॰ पी॰ धनपालन तथा एम॰ बी॰ राजेश सहयोजित हुए।

श्री शरद पवार ने उत्तर दिया।

(सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुन:समवेत हुई)

अपराह्न 2.03 बजे

8. **बजट (सामान्य) - 2009-2010 - अनुदानों की मांगें**

आवंटित समय	:	4 घंटे
लिया गया समय	:	1 घंटा 17 मिनट
शेष	:	2 घंटे 43 मि॰

---

*अपराह्न 12.36 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं—

(एक) कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 1—3 पर चर्चा

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा

कृषि मंत्रालय से संबंधित 5 कटौती प्रस्ताव (संख्या 70, 71, 77, 84 और 85) पेश किए गए। निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:–

1. श्री राजनाथ सिंह

2. श्री जगदम्बिका पाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.16 बजे

9. प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधान मंत्री ने इटली, फ्रांस और मिस्र की अपनी हाल की यात्राओं के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 3.30 बजे

10. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुर:स्थापित

(1) श्री योगी आदित्यनाथ का गौ-वध पर पाबंदी विधेयक, 2009

(2) श्री योगी आदित्यनाथ का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)

(3) श्री जे॰पी॰ अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानी और उनका परिवार (कल्याण) विधेयक, 2009

(4) श्री जे॰पी॰ अग्रवाल का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009

(5) श्री जे॰पी॰ अग्रवाल का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009

(6) श्री जे॰पी॰ अग्रवाल का निराश्रित महिला और विधवा कल्याण विधेयक, 2009

(7) श्री अधीर रंजन चौधरी का कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें तथा कल्याण) विधेयक, 2009

(8) श्री अधीर रंजन चौधरी का कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2009

अपराह्न 3.35 बजे

11. **गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक - विचाराधीन**

श्री वैजयंत पांडा का अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009

श्री वैजयंत पांडा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. डा॰ विनय कुमार पाण्डेय
3. श्री प्रेम दास राय
4. श्री भक्त चरण दास
5. श्री पिनाकी मिश्र
6. चौधरी लाल सिंह
7. श्री भर्तृहरि महताब (*भाषण अपूर्ण रहा*)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.14 बजे

(लोक सभा सोमवार, 20 *जुलाई,* 2009 *को पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.02 बजे से सायं 6.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3043LS—17-07-2009.

लोक सभा

समाचार–भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 20 जुलाई, 2009/29 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 20

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 221—223 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 224—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1988—2194 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 75(अ) जो 5 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2008 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 76(अ) जो 5 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (आवासों का आबंटन) संशोधन विनियम, 2008 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 77(अ) जो 6 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया (इसकी एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया (इसकी एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया (इसकी एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2009, जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1293(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा व्याख्यात्मक टिप्पण।

(7) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2005—2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2005—2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट मिशन अथॉरिटी), नागालैंड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट मिशन अथॉरिटी), नागालैंड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट मिशन अथॉरिटी), मेघालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट मिशन अथॉरिटी), मेघालय के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) एजूकेशनल कंसलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के

बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) एजूकेशनल कंसलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) मिजोरम विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों की व्याख्या करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं के लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों की व्याख्या करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों का निरीक्षण) नियम, 2009 जो 6 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 240(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेवा गुणवत्ता के मानक (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन-नॉन-सीएएस क्षेत्र) विनियम, 2009 जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 16-3/2009-

बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दि टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 409-12/2008-एफएन में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दि डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (सेवा गुणवत्ता के मानक और शिकायतों का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 16-2/2009-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 जो 17 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 3-21/2009-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) द रजिस्टर आफ इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट्स (ब्राडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009 जो 18 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 6-4/2009-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (आठवां संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 5-2/2005-एएण्डपी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाईन) की सेवा के गुणवत्ता मानक और सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 305-25/2008-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपयुर्क्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1406(अ) जो 4 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रौद्योगिकी के विषयों को शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ अभिहित ट्रेड्स के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2009 जो 4 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(52) (एक) स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपयुर्क्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसैबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसैबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 जुलाई, 2009 को पारित झारखंड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

*अपराह्न 12.02 बजे

5. सदस्यों द्वारा निवेदन

अपराह्न 12.06 बजे

उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में थलसेना भर्ती रैली के दौरान फायरिंग में हुई कथित मौत के बारे में ।

निम्नलिखित सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में थलसेना भर्ती रैली के दौरान फायरिंग में हुई कथित मौत के बारे में निवेदन किया—

(1) श्री राम किशुन

(2) डा॰ मुरली मनोहर जोशी

(3) श्री जगदम्बिका पाल

श्री ए॰के॰ एंटनी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.19 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्निलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) चौधरी लाल सिंह द्वारा उद्यमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट बाड़ लगाए जाने के कारण लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डा॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के तेल पाम उत्पादक किसानों

*अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 12.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

की समस्याओं के समाधान के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोल्लम जिले में सस्थानकोटा झील के संरक्षण के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में बेहतर रेल संपर्क के लिए रेल परियोजनाएं लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जगदंबिका पाल द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की कमी से उभरने के लिए गोरखपुर में बंद उर्वरक कारखानों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एम॰ कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु में प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण सेनजी हिल्स में रोप वे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री आर॰ सांबासिवा राव द्वारा मंगलागिरि जिला गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश में कलस्टर-कम-हैण्डलूम पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री लालूभाई पटेल द्वारा पाकिस्तानी जेलों में कैद दमन और द्वीव के मछुआरों को छुड़ाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री निशिकांत दुबे द्वारा बिहार और झारखण्ड के 'श्रावणी मेला' को राष्ट्रीय पर्व घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री श्रीपाद येसो नायक द्वारा गोवा में मोपा विमानपत्तन का निर्माण करने के लिए अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री राम किशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चकिया मुगलसराय में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरबीघा और सरमेरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 का मरम्मत कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ए॰के॰एस॰ विजयन द्वारा तमिल भाषा को सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एम.बी. राजेश द्वारा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पालक्कड़ के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के दर्जे को बहाल रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री यशवंत नारायण सिंह लागुरी द्वारा क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 का विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री देवेन्द्र नागपाल द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थस्थल 'गढ़गंगा' का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा सिविल विमानों का प्रचालन पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा एयर बेस से शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डा॰ किरोड़ीलाल मीना द्वारा राजस्थान में बीपीएल परिवारों की संख्या पर निर्धारित सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.19 बजे

7. **बजट (सामान्य) 2009-2010-अनुदानों की मांगें**

लिया गया समय: 8 घंटे 33 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं—

(एक) कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 1 से 3 और 17 जुलाई, 2009 को उन पर पेश किए गए कटौती प्रस्तावों पर आगे चर्चा जारी रही।

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 16 और 17 पर आगे चर्चा।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल *(अपना भाषण पुन: आरंभ किया)*
2. कुवर रेवती रमन सिंह
* 3. श्री विजय बहादुर सिंह
4. श्री राजीव रंजन 'ललन' सिंह
**5. डा॰ तरुण मंडल
**6. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
**7. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
8. श्री आधि शंकर
9. श्री शक्ति मोहन मलिक
10. श्री भर्तृहरि महताब
**11. श्री पी॰एल॰ पुनिया
12. श्री एच॰डी॰ कुमारस्वामी
**13. श्री दुष्यंत सिंह
*14. श्री एम॰ आनंदन
15. डा॰ भोला सिंह
16. डा॰ (श्रीमती) झांसी बोचा लक्ष्मी
17. श्री प्रबोध पाण्डा
18. श्री उमा शंकर सिंह
19. श्री के॰पी॰ धनपालन
20. श्री नरहरि महतो
21. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
22. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
**23. श्री रुद्रमाधव राय
24. श्री एम॰ कृष्णास्वामी

---

* उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**25. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वर
26. श्री तूफानी सरोज
**27. श्री वीरेन्द्र कुमार
*28. श्री कौशलेन्द्र कुमार
29. श्री एम॰के॰ राघवन
30. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
31. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
32. श्री नामा नागेश्वर राव
*33. श्री एस॰ अलागिरी
**34. श्री ताराचंद भगोरा
35. श्री गणेश सिंह
36. श्री एस॰पी॰वाई॰ रेड्डी
37. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
38. श्री दत्ता मेघे
39. श्री प्रेम दास राय
40. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
**41. श्री अर्जुन राम मेघवाल
*42. श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी
**43. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
44. श्री जोस के॰ मणि
**45. श्री नारनभाई कछाड़िया
46. श्री पी॰टी॰ थॉमस
*47. श्री बृज भूषण शरण सिंह
48. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
49. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
50. डा॰ चरण दास महंत

---

* उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*51. श्री सुरेश कोडिकुन्नील

*52. श्री जे॰एम॰ आरून रशीद

**53. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

54. श्री शैलेन्द्र कुमार

श्री शरद पवार ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 1 से 3 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगों-बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें 16 और 17 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की मांगों—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

#सायं 7.48 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 21 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

* उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 7.35 बजे से सायं 7.48 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3110LS—20-07-2009.

लोक सभा

समाचार–भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 21 जुलाई, 2009/30 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 21

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 241—244 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 245—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2195—2389 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 2009 जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 151(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 96(अ) जो 17 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो यूरेनियम के लिए रॉयल्टी की दरों तथा अनिवार्य भाटक के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण) संशोधन नियम, 2009 जो 25 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 199(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2009 जो 3 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 458(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2009 जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 128(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन तथा कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का॰आ॰ 473(अ) जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 509(अ) जो 18 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो मासिक आधार पर विहित प्रपत्र में टन-दर-टन नीति के अध्यधीन अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत कच्ची चीनी के आयातों के बारे में है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 164(अ) जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जो चीनी के डीलरों पर चार माह के लिए स्टॉक-धारण तथा कारोबार सीमा लगाए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1067(अ) जो 29 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 509(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 303(अ) जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जो किसी चीनी उत्पादक द्वारा आयातित कच्ची चीनी से प्रसंस्कृत चीनी के संबंध में तथा एसटीसी/एमएमटीसी/पीईसी/नेफेड द्वारा 10 लाख टन तक आयातित सफेद या शोधित चीनी के संबंध में उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के उपबंधों की 1 अगस्त, 2009 तक अप्रयोज्यता के बारे में है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 304(अ) जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जो एसटीसी/एमएमटीसी/पीईसी/नेफेड द्वारा 10 लाख टन तक आयातित सफेद या शोधित चीनी के संबंध में उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के उपबंधों की 1 अगस्त, 2009 तक अप्रयोज्यता के बारे में है।

(11) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 9 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 84(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 4 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 148(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफइंडिया) के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफइंडिया, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफइंडिया, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का॰आ॰ 548(अ) जो 25 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है।

(दो) का॰आ॰ 1051(अ) जो 24 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1290(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 1068(अ) जो 30 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1249(अ) जो 18 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुंडूरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1265(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को आपस में जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (फेज-II) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1271(अ) और का॰आ॰ 1272(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरुपुक्कोट्टई-तूतुक्कुडि खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1341(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची–डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1368(अ) जो 28 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 (मेनामबेडू गांव) को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (फेस–II) के निर्माण (बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1369(अ) जो 28 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एग्मोर–नुंगाम्बक्कम तालुक के कोयम्बेडू और अरुम्बक्कम गांवों में कोयम्बेडू जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1435(अ) जो 10 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के निर्माण (चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1226(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सलेम–कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1233(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सलेम–कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1237(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 2126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1248(अ) जो 18 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुंडूरपेट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1269(अ) और का॰आ॰ 1270(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुंडूरपेट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1339(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरुप्पुकोट्टई-तूतुक्कुडि खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1340(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1342(अ) जो 25 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1442(अ) जो 11 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1443(अ) जो 11 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2913(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 193(अ) जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 196(अ) जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 354(अ) जो 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 369(अ) जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (थोंडापली-जडचेरला खंड) के उक्त खंड के प्रयोगक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 933(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 852(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 934(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 935(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 936(अ) जो 8 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1163(अ) जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1266(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1349(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयनगर-मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1350(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1351(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1352(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 819(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (पिंडवाड़ा-जसवंतगढ़ खंड) के चार लेन वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 875(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (गडावली नदी-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के चार लेन वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 1625(अ) जो 3 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर-गोमती चोराहा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 954(अ) जो 13 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17

(चंदाप्पुरा-कोट्टाप्पुरम खंड) के निर्माण/बनाने, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(19) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1050(अ) जो 24 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का॰आ॰ 1289(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1291(अ) जो 20 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

4. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' के बारे में श्री रुद्रमाधव राय तथा डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 48 के 07.07.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने संबंधी एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.03 बजे

5. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

अंतिम उपयोग निगरानी प्रबंध के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतिम उपयोग निगरानी प्रबंध के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री यशवंत सिन्हा
2. श्री बसुदेव आचार्य
3. श्री गुरुदास दासगुप्त
4. श्री मुलायम सिंह यादव

*अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.23 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

5. श्री शरद यादव
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री लालू प्रसाद
8. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
9. श्री नामा नागेश्वर राव

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.23 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में दुग्ध यूनियनों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सीवर और ड्रेनेज सिस्टम के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से इसके उचित जल का हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. डा॰ विनय कुमार उर्फ 'विन्नू' द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 'गहरे बोरिंग' के माध्यम से भूमिगत जल का उपयोग करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री राजाराम पाल द्वारा कानपुर, उत्तर प्रदेश में टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के भूतपूर्व कर्मचारियों को उसके आवास से निकाले जाने को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री दत्ता मेघे द्वारा देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में श्वेत पत्र लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. डा॰ चरण दास महन्त द्वारा कोरबा, छत्तीसगढ़ स्थित कोरबा फर्टिलाइजर्स फैक्टरी को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात स्थित सरदार सरोवर परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने तथा इस योजना हेतु निधियों के लिए पर्याप्त उपबंध किए जाने और इसे समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री राकेश सिंह द्वारा जबलपुर स्थित बारगी बांध 'मुख्य नहर परियोजना' को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने तथा इसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की परिधि में लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री अशोक अर्गल द्वारा भिंड, मध्य प्रदेश और इटावा, उत्तर प्रदेश के बीच रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को एक राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित किए जाने तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री ए॰ सम्पत द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत लौटकर आने वाले बेरोजगार अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याण निधि की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. डा॰ पी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा तीस्ता बैराज परियोजना के समापन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी द्वारा एस॰एस॰बी॰ के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के पाल्यों को रोजगार प्रदान किए जाने तथ एस॰एस॰बी॰ के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को वित्तीय अनुग्रह राशि दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.25 बजे

7. (एक) बजट (सामान्य)- 2009-2010-अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 6 घंटे 26 मिनट

विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगें संख्या 74 पर चर्चा शुरू हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री उदय सिंह *उर्फ* पप्पू सिंह

(सभा अपराह्न 12.58 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

2. श्री पन्ना लाल पुनिया
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री जगदीश शर्मा

*6. श्री मिथिलेश कुमार

7. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन

*8. श्री प्रेमदास

9. श्री तथागत सत्पथी
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. एडवोकेट (श्री) अनिरूद्धन सम्पत
12. श्री के॰ सुगुमार

*13. श्री कौशलेन्द्र कुमार

14. श्री डी॰बी॰ चन्द्रे गौडा
15. श्री के॰ बापीराजू

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*16. श्री वीरेन्द्र कुमार

*17. श्री अर्जुन राम मेघवाल

18. श्री एन॰ कृष्टप्प

19. श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी उर्फ स्वामीगौडा

20. श्री एम॰ राजा मोहन रेड्डी

21. श्री राधा मोहन सिंह

22. डा॰ रतन सिंह अजनाला

23. श्री असादूदीन ओवेसी

24. श्री निनोंग इरिंग

25. श्री पी॰ लिंगम

26. श्री जगदानन्द सिंह

27. श्री प्रेमचन्द्र गुड्डु

28. श्री नरहरि महतो

29. श्री के॰ सुधाकरन

*30. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

**31. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

32. श्री विजय बहुगुणा

33. श्री शरीफुद्दीन शरीक

34. श्री विनय कुमार उर्फ विन्नू

**35. श्री बृजभूषण शरण सिंह

**36. श्री सुशील कुमार सिंह

37. श्री सज्जन सिंह वर्मा

*38. श्री सी॰एल॰ रुआला

*39. श्री भूदेव चौधरी

40. श्री तिरूमावलावन थोल

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

** उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

41. श्री उदय प्रताप सिंह

42. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

**43. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद

**44. श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी

45. श्री हंसराज गं॰ अहीर

46. श्री तूफानी सरोज

श्री सुशील कुमार शिंदे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान संख्या 74 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) के लिए मांग पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

#8. **विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य**

विदेश मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री श्रीमती हिलैरी क्लिन्टन की हाल में भारत यात्रा के बारे में स्वप्रेरणा से एक वक्तव्य दिया।

उन्होंने 20 जुलाई, 2009 के भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर भी रखी।

अध्यक्षपीठ की अनुमति से सर्वश्री यशवंत सिन्हा, लाल कृष्ण आडवाणी, बसुदेव आचार्य, गुरुदास दासगुप्त, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, भर्तृहरि महताब, श्रीमती सुषमा स्वराज और डा॰ एम॰ तम्बिदुरई ने इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगे।

श्री एस॰एम॰ कृष्णा ने उसका उत्तर दिया।

@रात्रि 8.47 बजे

(लोक सभा बुधवार, 22 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

** उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

#अपराह्न 4.02 बजे से अपराह्न 4.32 बजे तक।

@रात्रि 8.25 बजे से रात्रि 8.47 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3159LS—21-07-2009.

लोक सभा

समाचार–भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 22 जुलाई, 2009/31 आषाढ़, 1931 (शक)

संख्या 22

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 261—265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2390—2619 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2009 जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 511(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वैपकॉस लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए जल संसाधन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए कोयला मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत कोयला खान पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2009 जो 5 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 154(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो 22 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 348(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(6) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 11ग की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 822(अ) जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड (जिसमें इसके मुख्यालय, इकाइयां और समनुषंगी कंपनियां शामिल हैं) के कार्यपालक संवर्ग कर्मचारियों को राजपत्र में अधिसूचना के जारी होने की तारीख से कोयला खान निक्षेप लिंक्ड बीमा स्कीम, 1976 के सभी उपबंधों के प्रचालन से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जी॰बी॰ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी॰बी॰ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2009 जो 9 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2009 जो 4 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 149(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपयुर्क्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपयुर्क्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या सत्ताईस	चौदहवां सत्र, 1995
2. विवरण संख्या तीस	पंद्रहवां सत्र, 1995
3. विवरण संख्या तेईस	सोलहवां सत्र, 1996

ग्यारहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या अड़तीस	दूसरा सत्र, 1996

बारहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या उनतालीस	तीसरा सत्र, 1998

तेरहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या बयालीस	दूसरा सत्र, 1999
7. विवरण संख्या छियालीस	तीसरा सत्र, 2000
8. विवरण संख्या उनतालीस	चौथा सत्र, 2000
9. विवरण संख्या सत्ताईस	पांचवां सत्र, 2000
10. विवरण संख्या पैंतालीस	छठा सत्र, 2001
11. विवरण संख्या चौवालीस	सातवां सत्र, 2001
12. विवरण संख्या तैंतीस	आठवां सत्र, 2001
13. विवरण संख्या बाईस	नौवां सत्र, 2002
14. विवरण संख्या उनतीस	दसवां सत्र, 2002
15. विवरण संख्या पच्चीस	ग्यारहवां सत्र, 2002
16. विवरण संख्या छब्बीस	बारहवां सत्र, 2003
17. विवरण संख्या तेईस	तेरहवां सत्र, 2003
18. विवरण संख्या बाईस	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

19. विवरण संख्या उन्नीस	दूसरा सत्र, 2004
20. विवरण संख्या सत्रह	तीसरा सत्र, 2004
21. विवरण संख्या सत्रह	चौथा सत्र, 2005
22. विवरण संख्या पंद्रह	पांचवां सत्र, 2005
23. विवरण संख्या चौदह	छठा सत्र, 2005
24. विवरण संख्या तेरह	सातवां सत्र, 2006
25. विवरण संख्या ग्यारह	आठवां सत्र, 2006
26. विवरण संख्या दस	नौवां सत्र, 2006
27. विवरण संख्या नौ	दसवां सत्र, 2007
28. विवरण संख्या सात	ग्यारहवां सत्र, 2007
29. विवरण संख्या छह	बारहवां सत्र, 2007
30. विवरण संख्या चार	तेरहवां सत्र, 2008
31. विवरण संख्या दो	चौदहवां सत्र, 2008
32. विवरण संख्या एक	पंद्रहवां सत्र, 2009

(25) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 263(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 423(अ) जो 16 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 263(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 17 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 427(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 430(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(28) खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1575(अ) जो 29 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 जून, 2009 ऐसी तारीख के रूप में नियत की गई है जब उक्त अधिनियम की धारा 99 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) संशोधन विनियम, 2008 जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7/1/90-सीसीएच(पीटी॰ I) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 20 जुलाई, 2009 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा में बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009

6. केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से **श्री एस॰ गांधीसेलवन ने** निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.38 बजे

8. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में स्थित आलमपुर तीर्थस्थल को पर्यटक केन्द्र घोषित किए जाने तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के अन्नापारथी में एलपीजी एजेन्सी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा नागपुर को भारत की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा सभी टेलीविजन चैनलों पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों का प्रसारण अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जगदीश ठाकोर द्वारा पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 56 तालुकाओं को 'डार्क जोन' घोषित करने वाले आदेश को रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में मुक्कुडल स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में सभी अनिवार्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.38 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(7) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल में एलपीजी रीफिल सिलेण्डरों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा बिहार के भागलपुर स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव द्वारा महाविद्यालयों में व्याख्याता पद की अर्हता हेतु एम॰ फिल डिग्री धारकों को नेट/सेट परीक्षा से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा बिहार में गरीबी रेखा से नीचे के सभी अर्ह परिवारों को बीपीएल की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा भरूच, गुजरात के ददियापाड़ा और सगवाड़ा के जनजातीय वाशिंदों, जिनकी जमीन बांध के निर्माण हेतु अर्जित की गई है, को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री तूफानी सरोज द्वारा मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरसाती रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घाघरा नदी में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अर्जुन राय द्वारा बिहार के सीतामढ़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने तथा इसे पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आवश्यक मूलभूत संरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री तथागत सत्पथी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सीजुआ, उड़ीसा को पूरा किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डा॰ मिर्जा महबूब बेग द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने का उपबंध करने हेतु एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एस॰डी॰ मंडलिक द्वारा महाराष्ट्र के पंचगंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कार्ययोजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.38 बजे

9. बजट (सामान्य)—2009-2010—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 7 घंटे 17 मिनट

वर्ष 2009-10 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 51 से 55 और 95 से 99 पर चर्चा शुरू हुई।

5 कटौती प्रस्ताव (59 से 63) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. डॉ॰ मोनाजिर हसन
5. श्री कल्याण बनर्जी
6. श्री आर॰ थामराईसेलवन
7. डॉ॰ राम चन्द्र डोम
8. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव

**9. श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौडा

10. श्री सी॰ शिवासामी
11. श्री लालू प्रसाद
12. श्री योगी आदित्यनाथ
13. डॉ॰ संजय सिंह
14. श्री बिभू प्रसाद तराई
15. श्री अधीर रंजन चौधरी

*16. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

17. श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी

*18. श्री मदन लाल शर्मा

19. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला

---

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

20. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक

**21. श्री अर्जुन राम मेघवाल

**22. श्री वीरेन्द्र कुमार

23. डॉ॰ थोकचोम मैन्या

24. श्री भूपेन्द्र सिंह

**25. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

26. डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग

27. श्रीमती दीपा दासमुंशी

28. श्री नरहरि महतो

29. श्री बिरेन सिंह इंग्ती

**30. श्री हंसराज गं॰ अहीर

31. श्री मनोहर तिरकी

**32 श्री बृज भूषण शरण सिंह

33. श्री इन्दर सिंह नामधारी

34. श्री सतपाल महाराज

35. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

36. श्री जय प्रकाश अग्रवाल

37. श्री असादूद्दीन ओवेसी

*38. श्री सोहन पोटाई

*39. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी

40. श्री थोल तिरूमावलावन

41. श्री भक्त चरण दास

42. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

*43. श्री राधा मोहन सिंह

44. श्री महेश्वर हजारी

**45. श्री तूफानी सरोज

*46. श्री बाजू बन रियान

---

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों — बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदान संख्या 51 से 54 और 95 से 99 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) के लिए मांग पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

रात्रि 8.09 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 23 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सांय 7.54 बजे से रात्रि 8.09 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3199LS—22-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 23 जुलाई, 2009/1 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 23

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 281 के मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 282—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2620—2843 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.34 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रतिवेदन संख्या 224—अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ डाईवोर्स एक्ट, 1869 इनेब्लिंग नान-डोमिसाइल्ड एस्ट्रेन्ज्ड क्रिश्चियन वाइव्स टू सीक डाइवोर्स—जून, 2009

(दो) प्रतिवेदन संख्या 225—अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7, 7ए एण्ड 7बी ऑफ इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट, 1947 मेकिंग एडवोकेट्स इलिजिबल टू मैन लेबर कोर्ट्स एण्ड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स—जून, 2009

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की

समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक विवरण लेखा) नियम, 2008 जो 12 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1440(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2009 जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 321(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2009 जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) वर्ष 2009-2010 के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(18) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार हैण्डिक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार हैण्डिक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नालाजी, भदोही के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नालाजी, भदोही के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2009 जो 3 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 381(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सोल्वेन्ट, रैफिनेट और स्लोप (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2009 जो 3 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 382(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(26) वर्ष 2009-2010 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) तुंगभद्रा स्टील प्रोड्क्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

*4. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'रेल सुरक्षा आयोग का कार्यकरण' के बारे में 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**(दो) गृह मंत्री ने बजट दस्तावेज में कतिपय कथित विसंगतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

---

* 5.24 बजे

**5.55 बजे

अपराह्न 12.03 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार,निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अवतार सिंह भडाना द्वारा टाइपिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाले थिनर और करेक्शन फ्लूड जिसे बच्चे नशीले पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं, की निर्बाध बिक्री रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री प्रदीप मांझी द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मेसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव्स केमिकल लिमिटेड और आइडियल एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड में भारी विस्फोटक दुर्घटनाओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला द्वारा मध्य प्रदेश में केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हरिभाऊ माधव जावले द्वारा इंदिरा आवास योजना के प्रस्तावों को मंजूर करने तथा महाराष्ट्र के जलगांव में स्वनियोजना में सहायता के लिए धन राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ भोला सिंह द्वारा बिहार शेखपुरा जिले में पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा दामोदर रेल परियोजना कार्य में तेजी लाए जाने तथा झारखण्ड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंगवाली कोलियरी को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सुजानगढ़ और रतनगढ़ क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री इन्दर सिंह नामधारी द्वारा झारखण्ड के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विकास योजनाओं का अनुमोदन किए जाने तथा राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

राजनीतिक दलों के नेताओं की सुरक्षा कथित तौर पर वापस लिए जाने/कम किए जाने के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने राजनीतिक दलों के नेताओं की सुरक्षा कथित तौर पर वापस लिए जाने/कम किए जाने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री दारा सिंह चौहान
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. कुंवर रेवती रमन सिंह

श्री पवन कुमार बंसल और श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.10 बजे

8. बजट (सामान्य)—2009-10—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 3 घंटे 50 मिनट

(एक) वर्ष 2009-10 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 104 पर चर्चा शुरू हुई।

(दो) कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1 और 2) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुमित्रा महाजन
2. डा॰ गिरिजा व्यास
3. श्रीमती सुशीला सरोज

*4. श्री नारनभाई कछाड़िया

5. श्रीमती मीना सिंह
6. डा॰ रत्ना डे (नाग)
7. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

8. श्रीमती सुस्मिता बाउरी

9. श्री रुद्रमाधव राय

** 10. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे

** 11. श्री ओ॰एस॰ मणियन

12. डा॰ एन॰ शिवप्रसाद

** 13. श्री प्रबोध पांडा

** 14. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन

15. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

** 16. श्रीमती जे॰ शांता

17. राजकुमारी रत्ना सिंह

*18. डा॰ प्रभा किशोर ताविआड

*19. डा॰ क्रुपारानी किल्ली

*20. डा॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

*21. श्रीमती प्रिया दत्त

*22. श्रीमती कमला देवी पाटले

*23. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*24. श्रीमती जयश्रीबेन कनुभाई पटेल

*25. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*26. श्री वीरेन्द्र कुमार

*27. श्रीमती उषा वर्मा

श्रीमती कृष्ण तीरथ ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए दो कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 104 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों — बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

(दो) सायं 5.59 बजे निम्नलिखित अनुदानों की बकाया मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की मांगों — बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए सभा में मतदान के लिए रखी गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:—

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 और 5

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8

(3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(4) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12

(6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15

(7) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18

(8) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19

(9) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 27

(10) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28

(11) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29

(12) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30

(13) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31

(14) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32, 33, 35, 36, 38 से 44

(15) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45

(16) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 48

(17) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 और 50

(18) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56

(19) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59

(20) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60

(21) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61 और 62

(22) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64

(23) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(24) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(25) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(26) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68

(27) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(28) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(29) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71

(30) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72

(31) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(32) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 76

(33) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 77

(34) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 79

(35) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 80 से 82

(36) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83 से 85

(37) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86

(38) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87

(39) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88

(40) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 89

(41) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 90

(42) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91

(43) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92

(44) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93

(45) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94

(46) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100 से 102

(47) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 103

(48) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 105

सायं 6.04 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009

10. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय : 3 मिनट

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

*सायं 6.27 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 24 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

दिनांक 22.07.2009 के समाचार—भाग एक का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के लिए	पढ़ा जाए
12	4	अनुदान संख्या 51 से 54	अनुदान संख्या 51 से 55

*सायं 6.07 बजे से सायं 6.27 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3246LS—23-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 24 जुलाई, 2009/2 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 24

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 302—304 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 301 और 305—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2844—3026 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2008-09 का संख्यांक सीए 15)— स्वायत्तशासी निकाय।

(दो) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2008-09 का संख्यांक सीए 18)—वायु सेना और नौ सेना।

(तीन) मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2008-09 का संख्यांक सीए 19)।

(चार) मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2008-09 का संख्यांक पीए 26)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग एक—वर्ष 2007-2008 के लिए समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग दो—वर्ष 2007-2008 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे।

(तीन) भारतीय रेल के विनियोग लेखे—भाग दो—वर्ष 2007-2008 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे (उपाबंध-छ)।

(11) वर्ष 2009-2010 के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी बजटों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ राष्ट्रीय औषध दुरुपयोग नियंत्रण निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 232 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2008-2009 के दौरान बाजार उधारों संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रेडिंग लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/143/158/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनशिड्यूल्ड इंटरचेंज चार्जेज तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2009 जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–1(2)/2009–सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (संशोधन) विनियम, 2009 जो 30 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–1(2)/2009 सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर राज्यिक पारेषण में मुक्त पहुंच) (संशोधन)विनियम, 2009 जो 29 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–7/105(121)/2007–सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रेडिंग लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) (संशोधन)विनियम, 2009 जो 2 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–7/143/158/2008–सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (संशोधान) विनियम, 2009 जो 2 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल–1/(5)/2009–सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(17) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या एल–7/145(160)/2008–सीईआरसी जो 17 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के संबंध में शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना संख्या एल–7/145(160)/2008–सीईआरसी जो 17 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के संबंध में युक्तिका दी हुई है।

4. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

(1) पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) (मांग सं॰ 92) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) (मांग सं॰ 93) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.04 बजे

5. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 27 जुलाई, 2009 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.09 बजे

6. **प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा 23 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा अपराह्न 1.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.04 बजे

7. **सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

आवंटित समय	:	8 घंटे
लिया गया समय	:	3 घंटे 56 मिनट
शेष	:	4 घंटे 04 मिनट

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 1.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री प्रणव मुखर्जी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जसवंत सिंह
2. श्री संदीप दीक्षित
3. श्री पी॰ करुणाकरन
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री पी॰ वेणुगोपाल
7. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
8. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
9. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री संजय निरुपम *(भाषण अपूर्ण रहा)*

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 27 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3293LS—24-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 27 जुलाई, 2009/5 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 25

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 321—325 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 326 —340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3027—3178 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या आईएमयू/ईसी/ईएक्सईसी/2009, जो 12 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (i) शैक्षणिक मामलों को प्रशासित

करने वाले अध्यादेश (ii) प्रशासनिक मामलों को प्रशासित करने वाले अध्यादेश के बारे में भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय का पहला अध्यादेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्यक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2009-2010 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2007 को घोषित राष्ट्रीय अभिकल्पना नीति के अनुसरण में जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 593(अ), जो 2 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अध्यक्ष, सदस्यों, नामनिर्दिष्ट सदस्यों तथा सदस्य-सचिव वाली एक भारतीय अभिकल्पना परिषद् का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) यू॰टी॰ चंडीगढ़ (सर्व शिक्षा अभियान), चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू॰टी॰ चंडीगढ़ (सर्व शिक्षा अभियान), चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अंतर्गत वास्तुविद परिषद् (संशोधन) नियम, 2009 जो 1 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 457(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, लोंगोवाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, लोंगोवाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र बल अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2009 जो 18 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 07(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सशस्त्र बल अधिकरण (पद्धति) नियम, 2009 जो 14 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 6(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) वर्ष 2009-2010 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2009 जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 514 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) सा॰का॰नि॰ 451(अ) जो 29 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 689(अ) में शुद्धि की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री ने 'रक्षा और संबद्ध सेवाओं में विवाहित आवास परियोजना की स्थिति' तथा 'सशस्त्र बलों में तनाव प्रबंधन' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 30वें और 31वें प्रतिवेदनों

में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

5. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के संबंध में प्रस्ताव

डा॰ एम॰ वीरप्पा मोइली की ओर से श्री बी॰के॰ हान्डिक ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से सभाओं की संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें कुल पन्द्रह सदस्य होंगे जिनमें से दस इस सभा से और पांच राज्य सभा से होंगे जिनका निर्वाचन प्रत्येक सभा के सदस्य अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करेंगे:—

कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(एक) सभी विद्यमान ''समितियों'' के [उनसे भिन्न जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसे संसद (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 में निर्देशित किया गया था] और ऐसी सभी 'समितियों' के, जिनका इसके बाद गठन किया जाएगा और जिनकी सदस्यता किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित कर सकती है, गठन और स्वरूप की जांच करना;

(दो) संयुक्त समिति द्वारा जांच की गई ''समितियों'' के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों को निर्रहताकारी होना चाहिए और किन पदों को निरर्हताकारी नहीं होना चाहिए;

(तीन) समय-समय पर संसद (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की जांच करना और उक्त अनुसूची में किसी संशोधन की, चाहे वह परिवर्धन द्वारा, लोप द्वारा या अन्यथा हो, सिफारिश करना।

कि संयुक्त समिति उपर्युक्त सभी या किन्हीं बातों के बारे में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर रिपोर्ट देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद-धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे रूपभेद और उपांतरणों के साथ, जैसे अध्यक्ष नियत करे, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सभा को उन सदस्यों के नाम प्रेषित करे जिन्हें राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद की जनरल काउंसिल के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 15(3) के साथ पठित नियम 4(दो) से (चार) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद की जनरल काउंसिल के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.07 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.22 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पी॰ टी॰ थॉमस द्वारा दिल्ली में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एम॰ कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से सिद्धार्थनगर जिले में किसानों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में चिलबिल रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरि रेल पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया द्वारा गुजरात में पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में उन किसानों, जिनके फसल भारी वर्षा के कारण नष्ट हुए हैं, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा बहरेपन से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी से होने वाले मृदा अपरदन को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुदर्शन भगत द्वारा गुमला शहर, लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में बाईपास सड़क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदश में गोरखपुर और सोनौली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29(ई) पर नए पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पोंग बांध परियोजना के कारण विस्थापित लोगों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डा॰ भोला सिंह द्वारा जल में फ्लोराईड की अधिक मात्रा के कारण विभिन्न शारीरिक विकृतियों से ग्रस्त लोगों की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निजीकरण का निर्णय वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा गौतमबुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में मंडी श्याम नगर लेवल क्रॉसिंग पर सड़क ऊपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद द्वारा देश के अन्य भागों के साथ बिहार में मुजफ्फरपुर को हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ए॰के॰एस॰ विजयन द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धन लोगों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना पर सेवा कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पी॰आर॰ नटराजन द्वारा तिरप्पुर, तमिलनाडु में सिलाई-बुनाई उद्योग के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ और अन्य मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा के गंजाम जिले में भंजन नगर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकर द्वारा बुलढाना जिला, महाराष्ट्र में लोनार झील को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री रमेश राठौड़ द्वारा गोदावरी नदी से आन्ध्र प्रदेश में जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक द्वारा देश में चीनी की जमाखोरी रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.23 बजे

9. सरकारी विधेयक-पारित

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009

लिया गया समय : 9 घंटे 49 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 24 जुलाई, 2009 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संजय निरूपम (*अपना भाषण पुन: शुरू किया*)
2. श्री मंगनी लाल मंडल
3. श्री पी॰सी॰ चाको
4. श्री तूफानी सरोज
5. श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
6. श्री पी॰एल॰ पुनिया
7. श्री प्रबोध पांडा
8. श्री विजय बहादुर सिंह

*9. श्री अर्जुन राम मेघवाल

10. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन
11. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
12. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
13. श्री हमदुल्लाह सईद
14. श्री राधा मोहन सिंह
15. श्री एम॰ कृष्णस्वामी
16. श्री खगेन दास
17. कु॰ मीनाक्षी नटराजन
18. श्री आधि शंकर
19. श्री विष्णु पद राय
20. डा॰ जी॰ विवेकानन्द
21. श्री कमल किशोर
22. श्री रामकिशुन
23. श्री नामा नागेश्वर राव

*24. श्री सतपाल महाराज

---

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

श्री प्रणव मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 से 12 स्वीकृत हुए।

खण्ड 13, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 से 22 स्वीकृत हुए।

खण्ड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 से 29 स्वीकृत हुए।

खण्ड 30, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 35 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 36, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 37, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणव मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर

होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 33 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 37क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 37क भी स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 की संशोधन संख्या 42 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 38 से 41 स्वीकृत हुए।

खण्ड 42, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 43 से 70 स्वीकृत हुए।

खण्ड 71, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 72, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 73 से 77 स्वीकृत हुए।

खण्ड 78, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 79 से 81 स्वीकृत हुए।

खण्ड 82 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 83 से 114 स्वीकृत हुए।

खण्ड 115 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 116 स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची स्वीकृत हुई।

पांचवीं अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणव मुखर्जी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

*सायं 6.43 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 28 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.16 बजे से सायं 6.43 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3376LS—27-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 28 जुलाई, 2009/6 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 26

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 341—343 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 344 —360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3179—3383 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 508(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक पीए 27)—चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 988(अ), जो 21 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 306(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्ष 2009-10 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1582(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-फैजाबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1584(अ) से 1587(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत–जालंधर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1537(अ) जो 23 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर–महुआ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1573(अ) जो 29 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 1574(अ) जो 29 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 1624(अ) जो 3 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया–पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1517(अ) जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा–मुंगेर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 786(अ) जो 19 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 में शिवनाथ नदी के ऊपर नंदघाट में हाई लेवल परमानेंट ब्रिज के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1539(अ) जो 24 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-कुरनूल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1540(अ) जो 24 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1589(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1535(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 1623(अ) जो 3 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 810(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का॰आ॰ 1662(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 196(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 1663(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरीपेट-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 1583(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 340(अ) जो 27 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 551(अ) जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 911(अ) और का॰आ॰ 912(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 607(अ) जो 4 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-खालघाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 861(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धोलपुर-मुरैना खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 959(अ) जो 13 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और 200 (चंडीखोल-दुबुरी-तालचेर खंड) और 203 (भुवनेश्वर-पुरी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाइस) का॰आ॰ 1347(अ) और का॰आ॰ 1348(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पनीकोइली-रिमुली खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेइस) का॰आ॰ 864(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (लालाबाईपास) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 865(अ) जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धलेश्वरी-भैरवी खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 915(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 916(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताइस) का॰आ॰ 920(अ) और का॰आ॰ 921(अ) जो 2 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरुप्पुकोट्टई तुतुक्कुडी खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाइस) का॰आ॰ 1144(अ) और का॰आ॰ 1145(अ) जो 4 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपास सहित

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुंडुरपेट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 1229(अ) से का॰आ॰ 1232(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 1236(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सेलम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1247(अ) जो 18 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1581(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 219(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1588(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1568(अ) जो 26 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1630(अ) और का॰आ॰ 1631(अ) जो 6 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-पंचकुला-कालका खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1592(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड) के टॉल प्लाजा पर संगृहीत की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1693(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कोथाकोटा बाईपास-कुरनुल खंड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1559(अ) जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (अमोला गांव से झांसी बाईपास खंड) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 395(अ) जो 3 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलोर-नीलमंगला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 860(अ) जो 26 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नीलमंगला-हसन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1140(अ) जो 4 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (अंकोला-

गूटी खंड) के ''वे-इन-मोशन-कम-ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासिफायर'' के संस्थापन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, धारवाड को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1199(अ) जो 12 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हुबली-धारवाड बाईपास) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 1264(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में समस्त क्रॉस-ड्रेनेज कार्य के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोडूनगल्लूर बाईपास) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 978(अ) जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(18) उपर्युक्त (17) की मद संख्या (उनतालीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 977(अ) जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 9 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ एनएच-11014/2/2006-पीएंडएम, जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 30.6.2007 से प्रिजाइडिंग आफीसर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, लखनऊ के पद का कार्यभार त्याग किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 10 जुलाई, 2009 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया है:—

1. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल
2. श्री मुकुट मिथी
3. सुश्री सुशीला तीरिया
4. श्री डी॰ राजा
5. श्री थॉमस संगमा
6. श्री लालमिंग लिआना
7. श्री बृजभूषण तिवारी
8. श्री वीर सिंह
9. सुश्री अनुसुइया उइके
10. श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि

(दो) कि 10 जुलाई, 2009 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने हेतु लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए निम्नलिखित सदस्यों के नाम की सूचना भी दी है:—

1. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी
2. सुश्री मैबल रिबैलो
3. श्री विजय कुमार रूपाणी
4. श्री अमर सिंह
5. श्री तपन कुमार सेन
6. श्री भारत कुमार राऊत
7. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य

(तीन) कि 10 जुलाई, 2009 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 30 अप्रैल, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने हेतु लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए निम्नलिखित सदस्यों के नाम की सूचना भी दी है:—

1. प्रो॰ सैफुद्दीन सोज
2. श्री अश्विनी कुमार
3. श्री प्रसन्ना चटर्जी
4. डा॰ के॰ मलयसामी
5. श्री शरद अनंतराव जोशी
6. श्री शांता कुमार
7. श्री एन॰ के॰ सिंह

(चार) कि राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 2009 को पारित विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं की है।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के निर्माण स्थल पर 12.7.2009 को हुई दुर्घटना की जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

6. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009

*अपराह्न 12.11 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे 18 खंबों में दिखाई देने वाली दरारों के संबंध में।

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 12.19 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे 18 खंबों में दिखाई देने वाली दरारों के संबंध में निवेदन किया।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.19 बजे

8. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डा॰ बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 115खखग की समीक्षा और आशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दत्ता मेघे द्वारा भारत निर्माण योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक मॉनीटरिंग कमेटी गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा' द्वारा उत्तराखण्ड के उन सभी किसानों जो पात्रता का मानदंड पूरा करते हैं, को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदीश ठाकोर द्वारा पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा झालावाड़-उज्जैन और देवास-भोपाल सेक्टरों पर रेल लाईन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डा॰ चरण दास महंत द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोल्लम जिले के पट्टानापुरम तालुक में रबड़ पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री के॰ डी॰ देशमुख द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जबलपुर-नागपुर चार लेन वाले सड़क पर निर्माण कार्य पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा मध्य प्रदेश में खजुराहो, पन्ना और सतना को जोड़ने हेतु रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा मेरठ, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य एक अस्पताल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण सड़कों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती ऊषा वर्मा द्वारा हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने और बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से होने वाले मृदा अपरदन को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री भूदेव चौधरी द्वारा जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में लोगों को शुद्ध पेय जल प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु में धरमपुरी और कृष्णगिरी जिलों में लोगों को शुद्ध पेयजल प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डा॰ पुलीन बिहारी बासके द्वारा पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा न्यायालय के भारी मात्रा में लंबित मामलों के निपटान के लिए न्यायाधीशों की रिक्तियां भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री देवेन्द्र नागपाल द्वारा अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रेल सेवाएं सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डा॰ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा भारत निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.20 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 6 घंटे 26 मिनट

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।)

2. कुंवर रेवती रमन सिंह
3. श्री गोपीनाथ मुंडे
4. श्री टी॰आर॰ बालू
5. श्री बसुदेव आचार्य
6. श्री दारा सिंह चौहान
7. श्री अर्जुन चरण सेठी
8. श्री आनंदराव अडसुल

**9. डॉ॰ एम॰ ताम्बिदुरई

10. श्री निशिकांत दुबे
11. डॉ॰ चरण दास महन्त
12. श्री बृज भूषण शरण सिंह
13. श्री रमेश राठौड़
14. श्री पी॰ लिंगम
15. श्री भोला सिंह
16. श्री पबन सिंह घाटोवार
17. श्री महेश्वर हजारी
18. श्री जगदानंद सिंह
19. श्री योगी आदित्यनाथ
20. श्री अधीर रंजन चौधरी
21. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

*22. श्री राधा मोहन सिंह

*23. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

24. श्री नरहरि महतो
25. श्री दुष्यंत सिंह

*26. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

27. श्रीमती अन्नू टंडन

**28. श्री रमाशंकर राजभर

*29. श्रीमती जयाप्रदा

*30. श्री मदन लाल शर्मा

*31. श्री गणेश सिंह

*32. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*33. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*34. श्री विश्व मोहन कुमार

35. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर

**36. डा॰ अरविन्द कुमार शर्मा

**37. डा॰ थोकचोम मैन्या

38. श्री आर॰ के॰ सिंह पटेल

39. श्री हरीश चौधरी

*40. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

*41. श्री एम॰ बदरूद्दीन अजमल

**42. श्री पी॰ के॰ बिजू

*43. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

श्री शरद पवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

#रात्रि 8.05 बजे

(लोक सभा बुधवार, 29 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

#सायं 7.46 बजे से रात्रि 8.05 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3411LS—28-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 29 जुलाई, 2009/7 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 27

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 361—363 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 364 —380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3384—3613 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2009-2010 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 496(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 497(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 498(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 499(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 503(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 504(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 505(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 506(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) वर्ष 2009-2010 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2009-2010 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2009 जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 512(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1243(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 114(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1268(अ) जो 19 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चेयरपर्सन, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव से मिलकर बनने वाले नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का पुनर्गठन किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1675(अ) जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चेयरमेन, तेरह सदस्य और एक सदस्य सचिव से मिलकर बनने वाले गुजरात कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी नामक प्राधिकरण का गठन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1676(अ) जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चेयरमेन, आठ सदस्य और एक सदस्य सचिव से मिलकर बनने वाले आन्ध्र प्रदेश कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी नामक प्राधिकरण का गठन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(14) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 23 के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 19 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 431(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नेशनल एकेडेमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडेमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 9 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 157(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 120वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी पर प्रतिवेदन

महासचिव ने अदीस अबाबा (इथोयोपिया) में 5 से 10 अप्रैल, 2009 तक आयोजित अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के 120वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी पर प्रतिवेदन का (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री एस॰ रामसुब्बु द्वारा तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बाराबंकी और अन्य समीपस्थ जिलों में 'नील गाय' के कारण फसलों की क्षति से सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यकरण में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा देश में बिजली की कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री प्रेमचन्द गुड्डु द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में रसायन विनिर्माता इकाइयों द्वारा उत्सृजित किए जा रहे गैसों और जनित प्रदूषण जो मानव जीवन तथा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा मध्य रेलवे के मंडल कार्यालय को मुंबई से नागपुर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जे॰पी॰ अग्रवाल द्वारा उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कॉलोनियों को नियमित करने तथा अनिवार्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गणेश सिंह द्वारा विभिन्न दवा निर्माता कंपनियों द्वारा विभिन्न ब्राण्ड नाम के जरिए बेची जा रही कॉमन जेनरिक दवाओं के मूल्यों में अंतर पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अशोक अर्गल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री महेन्द्र सिंह पी॰ चौहान द्वारा वीरवाडा रेलवे स्टेशन को गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गम्भोई में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राम किशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में रेल उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उत्तर प्रदेश के सूखा-प्रभावित बलिया और देवरिया जिलों के किसानों को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के सुपौल जिले में कोशी नदी पर रेलवे पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा चेन्नई, तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा को त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन निधि शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा आंध्र प्रदेश में पलर नदी पर पुल के निर्माण को रोक दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री इन्दर सिंह नामधारी द्वारा डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने तथा उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.15 बजे पुन: समवेत हुई)

(सभा में लगातार व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

6. सदस्य द्वारा निवेदन

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के दादरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना चालू किए जाने के बारे में

श्री मुलायम सिंह यादव ने गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के दादरी में गैस आधारित विद्युत परियोजना चालू किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.11 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

7. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय : 3 घंटे

उपाध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्रीमती सुषमा स्वराज, जिन्हें प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरों से उत्पन्न मुद्दों पर नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारंभ करना था, ने अनुरोध किया कि उनकी ओर से श्री यशवन्त सिन्हा को चर्चा प्रारंभ किए जाने की अनुमति दी जाए तथा उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है।

तद्नुसार, श्री यशवन्त सिन्हा ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी॰सी॰ चाको
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री शरद यादव
4. डा॰ मनमोहन सिंह
5. श्री बसुदेव आचार्य (**भाषण अपूर्ण रहा**)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.23 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 30 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.23 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3460LS—29-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 30 जुलाई, 2009/8 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 28

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 381—386 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 387—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3614—3830 और 3832—3843 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नालाजी इंटरप्रिन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नालाजी इंटरप्रिन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नालाजी, तंजावुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नालाजी, तंजावुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी अन्वेषण और निबंधन महानिदेशक का कार्यालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 जो 20 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 91 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 की अवधि के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित 37वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) हैण्डिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 205वें प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित ''देश में बुनकरों की सामान्य दशा—बुनकर बाहुल्य क्षेत्र का निर्णयजन्य अध्ययन'' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित ''हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं'' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.03 बजे

5. **ध्यानाकर्षण**

श्री अर्जुन चरण सेठी ने सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कतिपय देशों को गैर-बासमती चावल का निर्यात किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों का भी उत्तर दिया।

*अपराह्न 1.35 बजे

6. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल के अरूर से हरिपाड तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) चौधरी लाल सिंह द्वारा जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, कटरा और बनिहाल को जोड़ने वाले रेलवे लाईन का निर्माण पुन: आरंभ कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखण्ड के गिरीडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बंद पड़े कोयला खानों में कोयले का उत्खनन पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डा॰ मुरली मनोहर जोशी द्वारा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युवल मिशन के अंतर्गत वाराणसी में विकास कार्य कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री श्रीपद येसो नायक द्वारा गोवा के करमाली रेलवे स्टेशन पर गोवा जाने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री निशिकांत दूबे द्वारा रत्ना आर सीरिज ऑयल फील्ड्स से तेल का उत्पादन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 1.05 बजे से अपराह्न 1.34 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(7) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश में कमांडो एण्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डा॰ मिर्जा महबूब बेग द्वारा जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर विमानपत्तन को इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.36 बजे

7. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 5 घंटे 03 मिनट

श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रधानमंत्री की हाल की विदेश यात्रा से उत्पन्न मुद्दों पर 29 जुलाई, 2009 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बसुदेव आचार्य (उन्होंने अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री अनंत गंगाराम गीते
4. डा॰ एम॰ तम्बीदुरई
5. श्री गुरुदास दास गुप्ता
6. श्री प्रणब मुखर्जी
7. श्री दिग्विजय सिंह
8. श्री असादूद्दीन ओवेसी

श्री एस॰एम॰ कृष्णा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 3.38 बजे

8. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 3.38 बजे

9. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प — विचाराधीन

श्री सतपाल महाराज द्वारा 10 जुलाई, 2009 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और कि स्वजलधारा और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन और निगरानी नहीं की जा रही है, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना बनाई जाये और क्रियान्वित की जाए।''

उन्होंने अपना भाषण पुन: आरंभ किया तथा अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. चौधरी लाल सिंह
4. श्री जगदीश शर्मा
5. श्री प्रदीप टम्टा
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अधीर रंजन चौधरी
8. श्री एस॰ सेम्मलई
9. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
10. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
11. श्री कमल किशोर
12. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

13. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
14. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद
15. श्री विष्णु पद राय
16. श्री जगदम्बिका पाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.13 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 31 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.02 बजे से सायं 6.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3495LS—30-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 31 जुलाई, 2009/9 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 29

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती गायत्री देवी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401—404 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 405—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3844—3930 और 3932—4025 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) संशोधन नियम, 2009, जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 513(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत लोक शिकायत का निवारण (संशोधन) नियम, 2009, जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 510(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 517(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 24 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या 45/2006 में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 2009 को पारित वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अपराह्न 12.01 बजे

6. ध्यानाकर्षण

श्री गुरुदास दासगुप्त ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सहित उद्योगों में छंटनी और उनके बन्द हो जाने से बड़े पैमाने पर नौकरियां समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रम और रोजगार मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

श्रम और रोजगार मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 1.03 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 3 अगस्त, 2009 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

8. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 30 जुलाई, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 5वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.09 बजे

9. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009

(दो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009

(सभा अपराह्न 1.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.11 बजे

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने अपरिष्कृत और सफेद/परिष्कृत चीनी के आयात के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 2.14 बजे

11. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आबंटित समय	:	4 घंटे
लिया गया समय	:	1 घंटा 16 मिनट
शेष	:	2 घंटे 44 मिनट

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009, राज्य सभा द्वारा यथा पारित

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कीर्ति (झा) आजाद

2. डा॰ (कुमारी) गिरिजा व्यास (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

12. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री अधीर रंजन चौधरी का वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक, 2009।

(2) श्री बसुदेव आचार्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)।

(3) श्री बसुदेव आचार्य का संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुसूची का संशोधन)।

(4) श्री बसुदेव आचार्य का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुसूची का संशोधन)।

(5) श्री बसुदेव आचार्य का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुसूची का संशोधन)।

(6) श्री हंसराज गं॰ अहीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 130 का संशोधन)।

(7) श्री हंसराज गं॰ अहीर का कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2009।

(8) श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा' का पर्यावरण संरक्षण परिषद् विधेयक, 2009।

(9) श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा' का केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् विधेयक, 2009।

(10) श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा' का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)।

(11) श्री हंसराज गं॰ अहीर का उपभोक्ता वस्तुएं (उत्पाद की लागत और अधिकतम खुदरा मुल्य का अनिवार्य मुद्रण) विधेयक, 2009।

(12) श्री हंसराज गं॰ अहीर का कृषि भूमि अर्जन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2009।

(13) श्री एल॰ राजगोपाल का आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विजयवाड़ा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2009।

(14) श्री एल॰ राजगोपाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)।

(15) श्री एल॰ राजगोपाल का संसद की कार्यवाही में व्यवधान (सदस्यों को दैनिक भत्ते के हक से वंचित करना और सदस्यता समाप्त करना) विधेयक, 2009।

(16) श्री एल॰ राजगोपाल का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 ।

अपराह्न 3.42 बजे

13. **गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन**

श्री वैजयंत पांडा का अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009

श्री वैजयंत पांडा द्वारा 17 जुलाई, 2009 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भर्तृहरि महताब (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री भोला सिंह
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री अर्जुन चरण सेठी
6. श्री अर्जुन राम मेघवाल
7. श्री ओम प्रकाश यादव

8. श्री रुद्रमाधव राय

9. श्री वी॰ नारायणसामी (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

(गणपूर्ति न होने के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

सायं 5.44 बजे

(लोक सभा सोमवार, 3 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3534LS—31-07-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 3 अगस्त, 2009/12 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 30

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

1. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 421—440 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4026—4255 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पंचायती राज मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ आरबिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ आरबिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एण्ड फिटिंग्स (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश, 2009 जो 25 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1544(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माईनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर माईनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कमीशन फॉर माईनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेन्ट्री एजूकेशन (सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) जयपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेन्ट्री एजूकेशन (सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) जयपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेन्ट्री एजूकेशन (सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम), जयपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेन्ट्री एजूकेशन (सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) स्टेट मिशन अथॉरिटी सिक्किम (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथॉरिटी सिक्किम (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स यूनिवर्सिटी, धनबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) उत्तराखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) कर्नाटक महिला समाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक महिला समाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) कर्नाटक महिला समाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक महिला समाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी, सिकन्दराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी, सिकन्दराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, रांची के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, रांची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, रांची के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, रांची के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) बिहार महिला समाख्या सोसाइटी, पटना के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार महिला समाख्या सोसाइटी, पटना के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) एजूकेशन कंसलटैंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एजूकेशन कंसलटैंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी केद्रीय विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2009 जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1604 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या आइजी/एडमिन(जी)/विनियम 1/2008/1426 जो 13 दिसम्बर, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय मुख्यालय में दीक्षांत समारोह के लिए विनियम के पैरा 15 और 16 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिनियम, जो 23 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 280 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2666(अ) जो 17 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 27 जून, 2008 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 488(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.02 बजे

3. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने दादरी, जिला गौतमबुध नगर में गैस आपूर्ति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.15 बजे

4. दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 (1) (उन्नीस) और (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय के अथवा किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय की संस्था के कर्मचारी नहीं होंगे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद्, के लिये निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए स्कीम के खंड 9(1) (ङ), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त स्कीम और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद्, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.16 बजे

6. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) कंपनी विधेयक, 2009

(दो) भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2009

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.18 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया द्वारा गुजरात में बीपीएल सूची की समीक्षा के लिए एक केन्द्रीय दल गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया द्वारा गुजरात के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों के जिन किसानों की फसलें भारी वर्षा के कारण बर्बाद हो गई हैं, को कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में जिन किसानों की फसलें हाथियों ने बर्बाद कर दी हैं, को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा फरक्का बराज में बड़ी मात्रा में जमा गाद को निकाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में चमड़ा उद्योग के विकास के लिए मेगा क्लस्टर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा नागपुर में केन्द्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने तथा नागपुर में विद्यमान अन्य अस्पतालों को उन्नत बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान, चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लघु और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए एफसीआई गोदामों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा अफीम उत्पादकों तथा अफीम उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अशोक अर्गल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 को चार लेन वाला बनाए जाने तथा राजमार्ग पर कवारी, चम्बल और यमुना नदी पर पुलों के निमार्ण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती उषा वर्मा द्वारा हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में पलिया और बेडीजोर को जोड़ने वाली रामगंगा तथा कुंडा नदियों पर पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राकेश पाण्डेय द्वारा अम्बेडकर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रासिंग 83क पर रेल पुल पुन: खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में हरनाटैड में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ए॰के॰एस॰ विजयन द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा माफ किए गए कृषि ऋणों के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) एडवोकेट ए॰ सम्पत द्वारा केरल के एक महान सामाजिक सुधारक वैकुंटम स्वामीकल के सम्मान में डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री यशवंत नारायण सिंह लागुरी द्वारा उड़ीसा में दैतारी-बांसपानी खण्ड पर रेल लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने तथा साथ ही दिल्ली से भुवनेश्वर तक एक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली स्थित अन्नल गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष लाने की दृष्टि से उन्नत बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री देवेन्द्र नागपाल द्वारा अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के गजरोला में एक ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डा॰ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा आपदा प्रबंधन एजेंसियों तथा टास्कों के लिए निधियों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.09 बजे

8. नियम 193 के अधीन चर्चा

उपलब्ध समय	:	4 घंटे
लिया गया समय	:	24 मिनट
शेष	:	3 घंटे 36 मिनट

श्री बसुदेव आचार्य ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में एक चर्चा उठाई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

श्री बसुदेव आचार्य ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया। उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 3.19 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 4 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,

महासचिव।

GMGIPMRND—3599LS(S5)—03-08-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 4 अगस्त, 2009/13 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 31

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 441, 442, 443, 444 और 447 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 445, 446 और 448 — 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4256 — 4485 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 की तीसरी तिमाही के दौरान बजट के संबंध में प्राप्तियां और व्यय के रुझान की त्रैमासिक समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 531(अ) जो 16 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें चीनी और खांडसारी चीनी पर स्टॉक होल्डिंग तथा कुल उत्पादन सीमा लगाने को और छ: महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाना शामिल है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 528(अ) जो 16 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच आदेशों में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 529(अ) जो 16 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो आदेशों में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(चार) सा॰का॰नि॰ 530(अ) जो 16 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चार आदेशों में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(3) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 518(अ) में प्रकाशित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक

(आशुलिपिक) समूह 'ग' पदों की भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1525 (अ) जो दिनांक 22 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) तथा उनके सभी संघटकों और मोर्चा संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में जोड़े जाने वाला आदेश सम्मिलित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) गोवा मीट कम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कर्णाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्णाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अधीन दिनांक 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 452(अ) में प्रकाशित पौधा किस्म और कृषक अधिकार (प्रभेदकता के लिए मानदंड, पंजीकरण के लिए एकरूपता और स्थायित्व) विनियम, 2009 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1407 (अ) जो 5 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (मोराबाजार-खलोईघुगुटी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1499(अ) और का॰आ॰ 1500(अ) जो 17 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (रिमुली-राजमुंडा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), के अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न विस्तार क्षेत्रों के प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1742(अ) जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कडथल-अरमुर खण्ड) के चार लेन वाले विस्तार क्षेत्र के प्रयोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 3 अगस्त, 2009 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009

अपराह्न 12.03 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08 तथा 2008-09) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी

समिति के क्रमश: 28वें तथा 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएडीएफ), कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08 तथा 2008-09) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 29वें तथा 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(क) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ख) (एक) 'महानगर तथा मरुस्थल क्षेत्र में पुलिस गश्त' के बारे में श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 432 के संबंध में 07.07.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण।

(ग) (एक) 'दिल्ली नगर निगम अधिकारियों द्वारा दौरों' के बारे में श्री (कैप्टन) जय नारायण प्रसाद निषाद, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के संबंध में 21.07.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण।

(3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के पुनर्वास के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित ''ऑयल रिफाईनरीज—ए क्रिटीक'' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.04 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.26 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई)

**अपराहन 1.33 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु के डिंडीगुल और पोल्लाची के बीच आमान परिवर्तन कार्य के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) चौधरी लाल सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर में धरमकुंड के निकट चेनाब नदी के किनारों पर जिप्सम भंडार के उत्खनन का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री दत्ता मेघे द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ रही कीमतों पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिमानों और मानकों के अनुसार सड़क निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कोट्टाराकरा और किलीमानूर होते हुए चेंगनूर और त्रिवेन्द्रम के बीच एक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का निर्माण प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में प्रस्तावित रंजीत सागर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.26 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

**अपराह्न 1.00 बजे से अपराह्न 1.33 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(7) श्री मधु गौड यास्खी द्वारा देश के विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के गैरपंजीकृत बीड़ी विनिर्माता इकाइयों में काम कर रहे बीड़ी कामगारों को न्यूनतम वेतन तथा अन्य सेवा लाभों का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री एस० रामासुब्बु द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने तथा देश के केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री प्रताप नारायणराव सोनवणे द्वारा विदेश से छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुमूल्य वस्तुओं को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री हंसराज गं० अहीर द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री प्रहलाद जोशी द्वारा डॉ० गंगूबाई हंगल को 'भारत रत्न' से पुरस्कृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा बिहार के विक्रमशिला होते हुए भागलपुर और देवधर के बीच एक ट्रेन चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर० के० सिंह पटेल द्वारा बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में ग्लास फैक्टरी को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी द्वारा संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में बरतन और हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के सहरसा-फारबिसगंज ब्राड गेज रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री डी० वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के वेल्लोर में राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ एयरोनॉटिकल साइंस एण्ड ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एकेडमी की स्थापना को सुकर बनाए जाने के लिए वेल्लोर विमानपत्तन का विस्तार कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एम० बी० राजेश द्वारा रेलवे के कैटरिंग कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में विद्यासागर मेमोरियल हॉल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक द्वारा चीनी उद्योग के कल्याण के लिए प्रोत्साहन उपाय तथा रियायतों को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.33 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 55 मिनट

संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 334 का संशोधन), राज्य सभा द्वारा यथापारित।

श्री एम॰ वीरप्पा मोइली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन मुंडा
2. श्री पी॰ एल॰ पुनिया
3. श्री शरद यादव
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. डॉ॰ बलीराम
6. श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर
7. श्री बाजू बन रियान
8. श्री अर्जुन चरण सेठी
9. श्री अनंत गंगाराम गीते
10. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
11. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री प्रबोध पांडा

श्री एम॰ वीरप्पा मोइली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में *375; विपक्ष में *1. प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

---

*शुद्धि के अध्यधीन।

खंड 2 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में *343; विपक्ष में *शून्य।

खंड 2 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

खंड 1 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में *384; विपक्ष में *शून्य।

खंड 1 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एम॰ वीरप्पा मोइली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: पक्ष में *385; विपक्ष में *1.

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

अपराह्न 3.28 बजे

10. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय : 5 घंटे 32 मिनट

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009, राज्य सभा द्वारा यथापारित ।

31 जुलाई, 2009 को श्री कपिल सिब्बल द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ (कुमारी) गिरिजा व्यास (*अपना भाषण पुनः आरंभ किया*)

**2. श्रीमती पी॰ जयाप्रदा नाहटा

3. श्री मंगनी लाल मंडल

---

*शुद्धि के अध्यधीन।

** उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**4. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
**5. श्री भर्तृहरि महताब
**6. श्री भरत राम मेघवाल
**7. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
**8. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
**9. श्री राधा मोहन सिंह
**10. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
**11. श्री वीरेन्द्र कश्यप
12. डॉ॰ बलीराम
13. श्री कल्याण बनर्जी
14. श्री टी॰ आर॰ बालू
**15. श्री रमाशंकर राजभर
16. श्री शेख सैदुल हक
17. श्री तथागत सत्पथी
18. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल
19. श्री एस॰ सेम्मलई
20. डॉ॰ एन॰ शिवप्रसाद
21. श्रीमती रमा देवी
22. श्री इज्यराज सिंह
**23. श्री अर्जुन राम मेघवाल
24. डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग
25. श्री असादूद्दीन ओवेसी
**26. श्री निशिकांत दुबे
27. श्री राजन सुशांत
28. श्री एम॰ आई॰ शानवास
**29. श्री संजय शामराव धोत्रे
**30. श्री राकेश सिंह
**31. श्रीमती ज्योति धुर्वे
**32. श्री बदरूद्दीन अजमल
33. श्री जगदानन्द सिंह

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**34. श्री फ्रांसिस्को सारदीना
35. श्री प्रशान्त कुमार मजुमदार
36. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
37. श्री प्रेम दास राय
**38. श्री भक्त चरण दास
**39. श्री पी॰ के॰ बिजू
*40. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी
**41. डॉ॰ थोकचोम मैन्या
**42. श्री एम॰ कृष्णास्वामी
**43. श्री विजय बहादुर सिंह
**44. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
**45. श्री राजा राम पाल
**46. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 स्वीकृत हुआ।

---

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

खण्ड 13 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 से 20 स्वीकृत हुए।

खण्ड 21 स्वीकृत हुआ।

खंड 22 स्वीकृत हुआ।

खंड 23 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 और 25 स्वीकृत हुए।

खण्ड 26 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 से 38 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*रात्रि 8.09 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 6 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*सायं 7.44 बजे से रात्रि 8.09 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3642LS(S5)—04-08-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 6 अगस्त, 2009/15 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 32

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 461 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 462— 480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4486 — 4666 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.38 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2009-2010 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समामेलन आदेश, 2009 जो 28 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1847(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 77वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.52 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा आचार्य रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश के लैम एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म में मिर्च और हल्दी का बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए जाने और इस संबंध में आवश्यक निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा कोलकाता पत्तन पर पड़े हुए आयातित दलहन का प्रापण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पी॰ टी॰ थॉमस द्वारा केरल में अनन्नास उद्योग के पुनरुज्जीवन तथा विकास हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रतन सिंह द्वारा न्यूनतम बोली लगाने वाले अर्थात् मेसर्स सिम्मको बिरला लिमिटेड, भरतपुर, राजस्थान को रेलवे वेगन के निर्माण हेतु कार्य सौंपने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 12.52 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के लिए नयी न्यूनतम कारबार शर्तों का ब्यौरा देने संबंधी दिनांक 9.7.2009 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आंध्र प्रदेश के आलमपूर में जोगुलाम्बा रेलवे हाल्ट को पूर्ण रूप से रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एम॰ आई॰ शानवास द्वारा केरल और कर्नाटक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 पर रात्रि के समय वाहन यातायात चलाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय, इंजीनियरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आईटीआई खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा बिहार में पटना के समीप तारेगना को खगोल विज्ञान के अनुसंधान व अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा मकानों के निर्माण हेतु बीड़ी कर्मकारों को दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सैयदरजा और जमनिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा लोक सभा के ऐसे सदस्यों को जिनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के दाखिले की संस्तुति करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के खगड़िया जिले में नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले प्रभावित मछुआरा समुदाय को राहत देने के लिए समुद्री अपरदन को राष्ट्रीय आपदा/प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा के कंधमाल जिले में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.56 बजे

6. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 5 मिनट

मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 16 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लालू प्रसाद
2. श्री जय प्रकाश अग्रवाल
3. श्री राकेश सिंह
4. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
5. श्री मुलायम सिंह यादव
6. श्री शरद यादव
7. श्री तथागत सत्पथी
8. श्री टी॰आर॰ बालू
9. श्री बसुदेव आचार्य
10. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
11. श्री महाबल मिश्रा

*12. डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*13. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी ने सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.02 बजे

7. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 10 मिनट

शेष: 1 घंटा 50 मिनट

रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री आनन्द शर्मा की ओर से श्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

विधेयक पर चर्चा आस्थगित की गई।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.02 बजे

8. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 06 मिनट

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा 3 अगस्त, 2009 को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस पुन: आरंभ हुई।

श्री बसुदेव आचार्य ने अपना भाषण पूरा किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
2. श्री कावुरी सांबासिवा राव
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री लालू प्रसाद

*5. श्री राधा मोहन सिंह

6. श्री भूदेव चौधरी
7. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

8. श्री भर्तृहरि महताब
*9. श्री गणेश सिंह
10. श्री दारा सिंह चौहान
11. श्री अनंत गंगाराम गीते
12. श्री एस॰ सेम्मलई
*13. श्री अर्जुन राम मेघवाल
14. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
15. श्री के॰ नारायण राव
*16. श्री महाबल मिश्रा
*17. श्री राकेश सिंह
18. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
19. श्री प्रबोध पांडा
20. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
21. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
22. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
23. श्री बंस गोपाल चौधरी
*24. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
25. श्री मनोहर तिरकी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सायं 6.53 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 7 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 6.44 बजे से सायं 6.53 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3688LS(S5)—06-08-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 7 अगस्त, 2009/16 श्रावण, 1931 (शक)

संख्या 33

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 481—484 का मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 485—500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4667—4896 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2999(अ), जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची दो में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 513(अ), जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची दो में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1387(अ), जो 1 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1(अ), दिनांक 1 जनवरी, 2009 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 1824(अ), जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) संशोधन नियम, 2009, जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 134(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) संशोधन नियम, 2009, जो 5 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 309(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 162(अ) जो 12 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों का उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत परिषद् में नामनिर्देशन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) साउथ ज़ोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ ज़ोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 551(अ) जो 27 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सड़कों के प्रबंधन, रख-रखाव अथवा मरम्मत के संबंध में प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा को सेवा-कर से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(20) संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 की धारा 2 के अंतर्गत जारी आतंकवाद का निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का कार्यान्वयन) संशोधन आदेश, 2009, जो 8 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1661(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और चिह्नांकन अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी जैविक कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2009, जो 18 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 534(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफीसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफीसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति दिए जाने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009, जो 2 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/165(180)/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के वर्ष 2004-2005 से 2007-2008 तक के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं और वर्ष 2007-2008 के लिए उसमें उल्लिखित, पांच अन्य संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित

लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) रेल मंत्री की ओर से रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित ''योजना कार्य निष्पादन की समीक्षा और 11वीं पंचवर्षीय योजना अनुमान'' तथा ''विशेष रेल संरक्षा कोष की समीक्षा'' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 40वें और 41वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों के व्यावसायीकरण पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) (मांग संख्या 58) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.05 बजे

5. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009*

(दो) *कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009*

(तीन) *राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009*

(चार)# *भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009*

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.24 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰ सांबासिवा राव द्वारा पुणे और देश के अन्य भागों में एच 1 एन 1 वायरस का संक्रमण रोकने हेतु पर्याप्त निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा देश में औद्योगिक इकाइयों के ऊपर बकाया सरकारी धन की वसूली किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखण्ड के गिरीडिह जिले में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाए जाने तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में फर्टिलाईजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक नई इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा भरूच, गुजरात में अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गडखोल और भुलाव क्रॉसिंग पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा बनासकांठा जिला, गुजरात में दिसा विमानपत्तन से उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 12.24 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#अपराह्न 2 बजे

अपराह्न 2.03 बजे

7. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे 13 मिनट

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा 3 अगस्त, 2009 को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री हंसराज गं॰ अहीर
2. श्री रमाशंकर राजभर
3. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय
4. श्री वीरेन्द्र कुमार
5. श्री नारनभाई कछाड़िया

श्री शरद पवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 3.10 बजे

8. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पन्द्रहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 3.20 बजे

9. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 3.21 बजे

(लोक सभा अपराह्न 3.21 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3714LS(S5)—07-08-2009.